

**HEAD OFFICE**

**Uttarakhand Pollution Control Board**

**46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,  
Dehradun (Uttarakhand)**



**JOINT INSPECTION REPORT  
&  
ACTION TAKEN REPORT**

**Original Application No. 132 of 2021  
(I.A. No. 122/2021)**

**In compliance of order dated 24.06.2021  
of the**

**Hon'ble National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi**

**October, 2021**

**Action Taken Report  
In the matter of  
Original Application No. 132 of 2021  
(I.A. No. 122 of 2021)**

**Manoj Joshi**

(Applicant)

Vs

**State of Uttarakhand & Ors.**

(Respondents)

In compliance of the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 24.06.2021, inspection of 3- Stone Crushing Units - i) M/S Shri Maa Nanda Crushers, Vill. Darmin, Betalghat, District Nainital, ii) Shri Maa Girja Stone Crusher, Vill. Tallgaon, Betalghat, District Nainital, and iii) Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Vill. Tallgaon, Betalghat, District Nainital was carried out by the Joint Inspection Team on dated 17.08.2021. Compliance status were assessed in the light of State Stone Crusher Policy and air pollution control measures prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended time to time.

Copy of inspection report along with Annexures is enclosed as **Annexure-1**.

Based on the recommendation of the Joint Inspection Team, the Uttarakhand Pollution Control Board has issued necessary directions to all 3- Stone Crushing Units under section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended on dated 06.10.2021. Copies of directions issued to individual stone crushing unit is enclosed as **Annexure-2, 3 and 4**.

In compliance of directions of the Hon'ble NGT, joint inspection report is uploaded on website of the Uttarakhand Pollution Control Board. Inspection report is available at: <https://ueppcb.uk.gov.in/pages/display/214-inspection-reports>.

\*\*\*\*\*

✓ 11/07/2021  
Sms

**Joint Inspection Report of  
Stone Crushers at Betalghat, Distt. Nainital (Uttarakhand)**

**In the matter of  
Original Application No. 132/2021  
(I.A. No. 122/2021)**

**Manoj Joshi  
Versus  
State of Uttarakhand & Ors.**

**Submitted before the  
Hon'ble National Green Tribunal  
Principle Bench  
New Delhi**

**Date of Inspection: 17.08.2021**

**JOINT INSPECTION REPORT OF STONE CRUSHERS AT BETALGHAT, NAINITAL  
(UTTARAKHAND)**

**IN THE MATTER OF**

**MANOJ JOSHI VS STATE OF UTTARAKHAND & ORS.  
(O.A. NO. 132/2021, I.A. NO. 122/2021)**

**Background:**

Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi passed order on 24.06.2021 in the matter of Manoj Joshi Vs State of Uttarakhand & Ors. (OA No. 132/2021, IA No. 122/2021) for joint inspection of following stone crushers:

1. M/s Sri Maa Nanda Crusher
2. M/s Shree Maa Girja Stone Crusher
3. M/s Baijnath Stone Industries

Relevant para of the Hon'ble NGT order is as below: -

*"2. Having regard to the averments in the application, which are sought to be supported by photographs annexed and the media reports, we find it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrates concerned, Nainital, to undertake visit to the sites and ascertain the compliance status of functioning of the said stone crushers. The State PCB will be Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may give its report within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.*

*List for further consideration on 08.10.2021."*

Copy of the referred order of Hon'ble NGT is enclosed at **Annexure-1**.

In pursuant to the said order, joint inspection of stone crushers referred above was carried out on 17.08.2021 by a team comprising following officials:

1. Sh. Anurag Arya, Sub-District Magistrate, Koshya Kutauli
2. Sh. Runa Oraon, Sc. 'D', CPCB, Lucknow


*Shri Puri* *Rishu* *Anurag* *Runa* *Anurag*

3. Dr. R.K. Chaturvedi, Regional Officer, UKPCB, Haldwani,
4. Sh. Rajpal Legha, Deputy Director, Geology and Mining, Nainital
5. Sh. Kundan Puri Goswami, Nayab Tehsildar, Kosyakutoli, Nainital
6. Sh. H. C. Joshi, ASO, UKPCB, Haldwani

Member of SEIAA could not join for inspection as tenure of SEIAA has been completed and hence no representative was present. Salient details, observations and recommendations based on inspection are as below:

**1. M/s Sri Maa Nanda Crusher, Naini Chowk, Betal Ghat, Vill. Darmin, Betalghat, Distt. Nainital (UK)**

- i. M/s Sri Maa Nanda Crusher (hereafter referred as "the unit") is spread over an area of 2.138 Ha (Khasra no. 71, 72, 73, 74 of khata no. 19 (for stone crusher) and Khasra no. 78,79,80b,99,105,106,121,122,123,100a,124,101,103 and 104 of Khata No. 4,16,19,24,25). The unit has crushing capacity of 200 Ton Per Day, which is further increased to 45 Ton/Hr vide UKPCB order dated 07.12.2018. During inspection, the unit was in operation. The process flow chart of the unit is attached as **Annexure-2**.



**Fig. (01) Location of the Unit from the River (Source: Google Earth)**

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

- II. As informed by the unit representative, the operating hours of the unit is 8.00 AM to 6.00 PM.
- III. The unit has been granted permission for installation of stone crusher on 01.07.2015 from Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand for the period of 03 years, which is further renewed on 05.03.2019 for 05 years (19.11.2016 to 18.11.2021).
- IV. District Magistrate, Nainital granted permission for storage of mineral on 25.03.2017, which was valid upto 05 years or renewal of stone crusher. The unit was granted storage capacity of minerals of 61140 Cu. M (one time) and 100000 Cu. M (Annual), which is reduced to 50,694 Cu. M (one time) and 85000 Cu. M(Annual) vide order dated 04.05.2019 for the period upto 18.11.2021.
- V. The unit has been granted permission for installation of stone crusher as per state govt. policy namely "उत्तराखंड के "पर्वतीय क्षेत्र" हेतु स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011" (hereafter referred as state policy 2011) (Annexure-3).
- VI. The unit receives raw material (dust, stone, sand etc.) through auction by the District Administration, which is stored in the unit premises. During inspection, approx. 45660.61 Ton of raw material was found stored in the unit premises as per details submitted by the unit on the portal of Geology and Mining Unit, Directorate of Industries, Uttarakhand (Annexure-4). Details of purchase and sale for the financial year 2020-2021 and 2021-2022 (till 16.08.2021) of the unit is attached as Annexure-5.
- VII. The unit has been granted Consent to establishment of stone crusher on 19.05.2017. The unit has been granted CCA (Consolidated Consent & Authorization) by UKPCB, which is valid upto 18.11.2021 for crushing capacity of 45 MT/Hr. (11250 MT/Month).
- VIII. The unit is meeting its fresh water requirement through one borewell. Mechanical flow meter is installed at borewell. As per log book, avg. fresh water consumption of the unit is 6.38 KLD (for the month of July 2021). The unit has not obtained NOC from CGWA as NOC not required for water consumption less then 10 KLD. Notified by Ministry of Jal Shakti vide S.O. 3289(E) dated 24.09.2020.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

- IX. Water is required by the unit for screening, sprinklers and road dust suppression purposes. It has been informed that water for road dust suppression is received through tankers from vendors/nearby villagers.
- X. Waste water generated from screening plant is sent to settling tanks (02 nos.) and after settling of sludge, supernatant water it is recycled back in the process. During inspection, it was observed that kacha tank is also used as settling tanks.
- XI. Settled sludge is found disposed off on land.
- XII. The unit has provided water sprinkler at unloading/transfer point of stone crushers. But, water sprinkler is not having required pressure. During inspection, water sprinkler was operational. Location of water sprinkler installed in unit is annexed in **(Annexure No. 6)**.
- XIII. During inspection, fugitive emission was not found. However, ambient air quality monitoring with respect of Suspended Particulate Matter near stone crusher was carried out by third party MoEF & CC recognised lab on 23.07.2021 **(Annexure-7)** and as per report, Suspended Particulate Matter is meeting with the stipulated norms.
- XIV. As per state policy 2020 issued on 21.07.2020 **(Annexure-8)**, all stone crushers installed previously should provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust within 03 months from date of issue of state policy 2020. The unit is yet to install ducting and scrubbing system. During inspection, installation of system is in progress.
- XV. The unit is meeting the area criteria of 1.5 acres for establishment of stone crusher as per the state policy 2011.
- XVI. The unit has provided tin sheet wall having height approx. 15 ft.
- XVII. The unit has provided tin shed in primary crusher and secondary crusher to control noise pollution. During inspection, noise monitoring near process area and boundary wall was carried out and value are observed as 70 db and 52 db respectively as against stipulated norms of 75 db.
- XVIII. The unit has not provided adequate green belt as per state policy 2011.
- XIX. The unit has not provided complete metaled road as per state policy 2011.
- XX. As per said policy, site inspection by Sud-divisional Magistrate of area concerned, Divisional Forest Officer or his representative, representative of UKPCB, Geologist,


*[Handwritten signatures and initials]*

District Task Force Office and Mining Officer/Mine Inspector has to be carried out for proposed stone crusher/plant. The site inspection of the unit was carried out on 29.12.2014 and as per report, proposed site for the unit is meeting with siting criteria as per state policy 2011 except residential building, which was given for lease to the unit for 15 years (copy of the inspection report is annexe as **Annexure-9**).

- XXI. Further, Joint inspection of the unit was carried out on 04.03.2020 by six-member committee comprising Sub-District Magistrate, geologist, UKPCB, Technical Assistant (Geology), Officer Surveyor and typist. As per report, the unit (primary crusher) is located at 105 m as against 100 m from Perennial River as per state policy 2011 (copy of the inspection report is annexe as **Annexure-10**).

**2. M/s Shree Maa Girja Stone Crusher, Vill. Tallagaon, Betalghat, Distt. Nainital (UK)**

- I. M/s Shree Maa Girja Stone Crusher (hereafter referred as "the unit") is spread over an area of 1.185 Ha (Khasra no. 319, 320, 329, 336, 337, 338, 340, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 347 and 348 a). The unit has crushing capacity of 30 Ton/Hr. During inspection, the unit was in operation. The process flow chart of the unit is attached as **Annexure-11**.



**Fig. (02) Location of the Unit from the River (Source: Google Earth)**

- II. As informed by the unit representative, the operating hours of stone crusher is 8.30 AM to 5.30 PM.

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Dino', 'Bik', 'Atul', 'Fur', and 'Ajay'.*

- III. The unit has been granted permission for installation of stone crusher on 16.12.2016 from Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand for the period of 05 years.
- IV. District Magistrate, Nainital granted permission for storage of mineral on 25.04.2017, which was valid upto 15.12.2021. The unit was granted storage capacity of minerals of 22050 Cu. M (one time) and 68150 Cu. M (Annual), which is increased to 26392Cu. M (one time) and 79177 Cu. M(Annual) vide order dated 17.06.2019, which is valid upto 15.12.2021.
- V. The unit has been granted permission for installation of stone crusher as per state govt. policy namely "उत्तराखंड स्टोन क्रशर स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2015" (hereafter referred as "state policy 2015") (Annexure-12)
- VI. The unit has received crushing raw material (dust, stone, sand etc.) through auction by the District Administration, which is stored in the unit premises. During inspection, approx. 47382.33 Ton of raw material was found stored in the unit premises as per details submitted by the unit on the portal of Geology and Mining Unit, Directorate of Industries, Uttarakhand (Annexure-13). The stored raw material quantity is less than the permitted quantity. Details of purchase and sale for the financial year 2020-2021 and 2021-2022 (till 16.08.2021) of the unit is attached as Annexure-14.
- VII. The unit has been granted Consent to establishment of stone crusher on 22.09.2017. The unit has been granted CCA (Consolidated Consent & Authorization) by UKPCB, which is valid upto 18.11.2021 for crushing capacity of 6000 MT/Month.
- VIII. The unit is meeting its fresh water requirement through one borewell. Mechanical flow meter is installed at borewell. As per log book, avg. fresh water consumption of the unit is 15.72 KLD (for the month of July 2021). The unit has obtained NOC from CGWA on 27.07.2021, which is valid upto 26.07.2024.
- IX. Water is required by the unit for screening, sprinklers and road dust suppression purposes.

*[Handwritten signatures and initials]*

- X. Waste water generated from screening plant is sent to settling tanks (02 nos.) and after settling of sludge, supernatant water is recycled back in the process.
- XI. Settled sludge is found disposed off on land.
- XII. The unit has provided water sprinkler at unloading/transfer point of stone crushers. But, water sprinkler is not having required pressure. During inspection, water sprinkler was operational. Location of water sprinkler installed in unit is annexed in **(Annexure No. 15)**
- XIII. During inspection, fugitive emission was not observed. However, ambient air quality monitoring with respect of Suspended Particulate Matter near stone crusher was carried out by third party MoEF & CC recognised lab on 26.07.2021 **(Annexure-16)** and as per report, Suspended Particulate Matter is meeting with the stipulated norms.
- XIV. The unit has provided tin sheet wall having height approx. 15 ft.
- XV. The unit has partially provided cover shed in conveyor belts.
- XVI. The unit has provided tin shed in primary crusher and secondary crusher to control noise pollution. During inspection, noise monitoring near process area and boundary wall was carried out and value are observed as 70 db and 52 db respectively as against stipulated norms of 75 db.
- XVII. The unit has provided green belt outside tin boundary wall. The unit has not provided three layered green belt as per State Policy 2015.
- XVIII. The unit has provided metaled road as per state policy 2015.
- XIX. As per state policy 2020, the unit has to provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust. During inspection, installation of ducting and scrubbing system is in progress.
- XX. As per said policy, site inspection by Sud-divisional Magistrate of area concern, Divisional Forest Officer or his representative, representative of UKPCB, Geologist, District Task Force Office and Mining Officer/Mine Inspector has to be carried out for proposed stone crusher/plant. The site inspection of the unit was carried out on 27.09.2016 and as per report; proposed site for the unit is meeting with siting criteria as per state policy 2016 (copy of the inspection report is annexe as **Annexure-17**).

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**3. M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Vill. Tallagaon, Betalghat, Distt. Nainital (UK)**

- I. M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd. (hereafter referred as "the unit") is spread over an area of 1.855 Ha (Khasra no. 348a, 349, 350, 351, 352, 353a, 355a, 354a, 291a and 291sa). The unit has crushing capacity of 50 Ton/Hr. During inspection, the unit was in operation. The process flow chart of the unit is attached as Annexure-18.



**Fig. (03) Location of the Unit from the River (Source: Google Earth)**

- II. As informed by the unit representative, the operating hours of stone crusher is 8.00 AM to 6.00 PM.
- III. The unit has granted permission for installation of stone crusher on 20.12.2016 from Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand for the period of 05 years .
- IV. District Magistrate, Nainital was granted permission for storage of mineral on 27.04.2017, which is valid upto 19.12.2021. The unit is granted storage capacity of minerals of 52650 Cu. M (one time) and 100000 Cu. M (Annual).
- V. The unit has been granted permission for installation of stone crusher as per state govt. policy namely "उत्तराखंड स्टोन क्रशर स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर,

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

मोबइल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2016" (hereafter referred as "state policy 2016") (Annexure-19).


- VI. The unit has received crushing raw material (dust, stone, sand etc.) through auction by the District Administration, which is stored in the unit premises. During inspection, approx. 40111.74 Ton of raw material was found stored in the unit premises as per details submitted by the unit on the portal of Geology and Mining Unit, Directorate of Industries, Uttarakhand (Annexure-20). Details of purchase and sale for the financial year 2020-2021 and 2021-2022 (till 16.08.2021) by the unit is attached as Annexure-21.
- VII. The unit has been granted Consent to establishment of stone crusher on 10.04.2018. The unit has been granted CCA (Consolidated Consent & Authorization) by UKPCB, which is valid upto 19.12.2021 for crushing capacity of 12000 MT/Month.
- VIII. The unit is meeting its fresh water requirement through Koshi river. No flow meter is installed at water intake point. As informed by the unit representative, permission from irrigation department has been obtained. But, the unit has not provided the document.
- IX. Water is required by the unit for screening, sprinklers and road dust suppression purposes.
- X. Waste water generated from screening plant is sent to settling tanks (02 nos.) and after settling of sludge, supernatant water it is recycled back in the process. During inspection, overflow from the settling tanks was spread over nearby low-lying area within premises.
- XI. Settled sludge is found disposed off on land.
- XII. The unit has provided water sprinkler at unloading/transfer point of stone crushers. During inspection, water sprinkler was operational. Location of water sprinkler installed in unit is annexed in (Annexure No. 22)
- XIII. During inspection, fugitive emission was not found. However, ambient air quality monitoring with respect of Suspended Particulate Matter near stone crusher was carried out by third party MoEF & CC recognised lab on 26.07.2021 (Annexure-



- 23) and as per report, Suspended Particulate Matter is meeting with the stipulated norms.
- XIV. The unit has provided tin sheet wall having height approx. 15 ft.
- XV. The unit has provided cover shed in conveyor belts. However, some of the conveyor belts are covered with cloths.
- XVI. The unit has provided tin shed in primary crusher and secondary crusher to control noise pollution. During inspection, noise monitoring near process area and boundary wall was carried out and value are observed as 65 db and 56db respectively as against stipulated norms of 75 db.
- XVII. The unit has not provided green belt as per State Policy 2016.
- XVIII. The unit has provided metaled road as per state policy 2016.
- XIX. As per state policy 2020, the unit has to provide ducting system and scrubbing system in cover shed to arrest dust. During inspection, installation of ducting system and scrubbing system is in progress.
- XX. As per said policy, site inspection by Sub-divisional Magistrate of area concern, Divisional Forest Officer or his representative, representative of UKPCB, Geologist, District Task Force Office and Mining Officer/Mine Inspector has to be carried out for proposed stone crusher/plant. The site inspection of the unit was carried out on 30.11.2016 and as per report; proposed site for the unit is meeting with siting criteria as per state policy 2016 (copy of the inspection report is annexe as Annexure-24).

**Recommendations:**

It is evident from above observations, all three stone crushers were not observed completely complying with the stipulated conditions of permission granted by Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand and District Magistrate as well as conditions stipulated in State policy 2020. All stone crusher may be directed to comply with following:



1. M/s Sri Maa Nanda Crusher, Naini Chowk, Betal Ghat, Vill. Darmin, Betalghat, Distt. Nainital (UK)

- a) The units should provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
- b) The unit should provide adequate pucca settling tanks for wastewater treatment.
- c) The unit should provide water sprinklers with proper pressure as per state policy 2020.
- d) The unit should provide adequate green belt as per State policy 2011.
- e) The unit should provide complete metaled road as per State policy 2011.
- f) The unit should maintain proper logbook for water tankers used for sprinkling.
- g) The unit should ensure compliance of all conditions as per permission granted by Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB as well as conditions stipulated in State policy 2020(अध्याय III (बिन्दु संख्या 2)).

2. M/s Shree Maa Girja Stone Crusher, Vill. Tallagaon, Betalghat, Distt. Nainital (UK)

- a) The units expedite to install ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
- b) The unit should provide water sprinklers with proper pressure as per state policy 2020.
- c) The unit should provide complete cover shed in conveyor belts.
- d) The unit should provide green belt as per State policy.
- e) The unit should ensure compliance of all conditions as per permission granted by Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB as well as conditions stipulated in State policy 2020 (अध्याय III (बिन्दु संख्या 2)).





3. M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Vill. Tallagaon, Betalghat, Distt. Nainital (UK)

- i. The units expedite to install ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

- II. The unit should provide proper complete cover shed in conveyor belts.
- III. The unit should provide green belt as per State policy 2016.
- IV. The unit should provide flow meter at the water intake point and maintain proper log book.
- V. The unit should take necessary permission from concerned authority for use of surface water (River Koshi).
- VI. The unit should provide adequate settling tanks for wastewater treatment.
- VII. The unit should ensure compliance of all conditions as per permission granted by Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB as well as conditions stipulated in State policy 2020 (अध्याय III (बिन्दु संख्या 2)).


**Inspecting Officials:**

1. Sh. Anurag Arya, Sub-District Magistrate, Koshya Kutauli 
2. Sh. Runa Oraon, Sc. 'D', CPCB, RD(N), Lucknow 
3. Dr. R.K. Chaturvedi, Regional Officer, UKPCB, Haldwani, 
4. Sh. Rajpal Legha, Deupty Director, Geology and Mining, Nainital 
5. Sh. Kundan Puri Goshwami, Nayab Tehsildar, Koshya Kutauli, Nainital 
6. Sh. H. C. Joshi, ASO, UKPCB, Haldwani 

M/s Sri Maa Nanda Crusher, Naini Chowk, Betal Ghat, Vill. Darmin, Betalghat, Distt. Nainital (UK)

 <p>Latitude: 29.651702 Longitude: 79.430298 Elevation: 1336.5121 m Accuracy: 4.1 m Time: 17-08-2023 11:48</p>	 <p>Latitude: 29.642003 Longitude: 79.429317 Elevation: 1343.9111 m Accuracy: 5.1 m Time: 17-08-2023 11:57</p>
<p>Raw material storage yard</p>	<p>Primary Crusher in cover shed</p>
 <p>Latitude: 29.64479 Longitude: 79.4278 Elevation: 1344.35112 m Accuracy: 5.1 m Time: 17-08-2023 11:57</p>	 <p>Latitude: 29.64469 Longitude: 79.42732 Elevation: 1344.35112 m Accuracy: 5.1 m Time: 17-08-2023 12:03</p>
<p>Water sprinkler</p>	<p>Secondary crusher</p>

*ST*      *Pile*      *Atkinson*      *Sri*      *Chy*



Latitude 29.54024  
 Longitude 76.40798  
 Elevation: 88.421112 m  
 Accuracy: 3.3 m  
 Time: 17-08-2021 12:52

Covered conveyor belt



Latitude 29.54122  
 Longitude 76.40792  
 Elevation: 81.32117 m  
 Accuracy: 2.4 m  
 Time: 17-08-2021 12:54

Kacha road



Latitude 29.54074  
 Longitude 76.40716  
 Elevation: 83.76112 m  
 Accuracy: 3.9 m  
 Time: 17-08-2021 12:58

Green belt



Latitude 29.54078  
 Longitude 76.40840  
 Elevation: 82.17101 m  
 Accuracy: 2.8 m  
 Time: 17-08-2021 12:12

Settling tanks

*dry*      *Rik*      *Atulya*      *Sim*      *dry*



Latitude: 23.529023  
 Longitude: 76.401982  
 Elevation: 522.217164 m  
 Accuracy: 3.0 m  
 Date: 17/08/2021 13:25

Tubewell with mechanical water meter



Latitude: 23.529023  
 Longitude: 76.401982  
 Elevation: 522.217164 m  
 Accuracy: 3.0 m  
 Date: 17/08/2021 13:25

Water tanker


SI

Rik

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**M/s Shree Maa Girja Stone Crusher, Vill. Tallagaon, Betalghat, Distt. Nainital (UK)**



Latitude: 29.531700  
 Longitude: 78.790820  
 Elevation: 902.0 (1714) ft  
 Accuracy: 1.5 m  
 Time: 11:09:00 (13:00)

Primary and secondary crusher in cover shed



Latitude: 29.531700  
 Longitude: 78.790820  
 Elevation: 902.0 (1714) ft  
 Accuracy: 1.5 m  
 Time: 11:09:00 (13:00)

Raw material storage area



Latitude: 29.531700  
 Longitude: 78.790820  
 Elevation: 902.0 (1714) ft  
 Accuracy: 1.5 m  
 Time: 11:09:00 (13:00)

Green belt



Latitude: 29.531700  
 Longitude: 78.790820  
 Elevation: 902.0 (1714) ft  
 Accuracy: 1.5 m  
 Time: 11:09:00 (13:00)

Settling Tanks

SH Pit *[Signature]* *[Signature]*



Tubewell



Flow meter at tube well




Uncover conveyor belt

by Pisu Atvash  
Pisu Arj

M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Vill. Tallagaon, Betalghat, Distt. Nainital (UK)




Covered process area



Dust extraction system



Settling tanks



Green belt

ST

Ric

Shankar

Shi Any

**List of Annexure:**

Sl. No	Particulars	Annexure No.
1.	Copy of Hon'ble NGT order dated 24.06.2021 in the matter of Manoj Joshi Vs State of Uttarakhand & Ors. (OA No. 132/2021, IA No. 122/2021)	1
	<b>M/s Sri Maa Nanda Crusher</b>	
2.	process flow chart	2
3.	उत्तराखंड के "पर्वतीय क्षेत्र" हेतु स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011	3
4.	details submitted by the unit on the portal of Geology and Mining Unit, Directorate of Industries, Uttarakhand	4
5.	Details of purchase and sale for the financial year 2020-2021 and 2021-2022 (till 16.08.2021)	5
6.	Location of water sprinkler	6
7.	ambient air quality monitoring report	7
8.	state policy 2020	8
9.	copy of the inspection report dated 29.12.2014	9
10.	copy of the inspection report dated 04.03.2020	10
	<b>M/s Shree Maa Girja Stone Crusher</b>	
11.	process flow chart	11
12.	उत्तराखंड स्टोन क्रशर स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2015	12
13.	details submitted by the unit on the portal of Geology and Mining Unit, Directorate of Industries, Uttarakhand	13
14.	Details of purchase and sale for the financial year 2020-2021 and 2021-2022 (till 16.08.2021)	14
15.	Location of water sprinkler	15
16.	ambient air quality monitoring report	16
17.	copy of the inspection report dated 27.09.2016	17
	<b>M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.</b>	
18.	process flow chart	18
19.	उत्तराखंड स्टोन क्रशर स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2016	19
20.	details submitted by the unit on the portal of Geology and Mining Unit, Directorate of Industries, Uttarakhand	20
21.	Details of purchase and sale for the financial year 2020-2021 and 2021-2022 (till 16.08.2021)	21
22.	Location of water sprinkler	22
23.	ambient air quality monitoring report	23
24.	copy of the inspection report dated 30.11.2016	24

*[Handwritten mark]*

*Pik*

*Attachments*

*[Handwritten signature]*

Item No. 01

(Court No. 1)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(By Video Conferencing)

Original Application No. 132/2021  
(I.A. No. 122/2021)

Manoj Joshi

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 24.06.2021

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE MR. JUSTICE M. SATHYANARAYANAN, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE MR. JUSTICE BRIJESH SETHI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER**

**ORDER**

1. Grievance in this application is violation of environmental norms in operation of stone crushers by Maa Nanda Stone Crushers, Village Ratoura, Kasba Betaalghaat, District Nainital, Baijnath Stone Industries Jai Singh Building, Bareilly Road, Haldwani and Maa Girija Stone Crushers Village Ratoura, Kasba Betaalghaat, District Nainital, Uttarakhand. According to the applicant, the stone crushers are adjacent to the river Kosi which originates in the hills of District Almora and merges somewhere in river Ramganga in the plains of Chamraul, Uttar Pradesh, adversely affecting the water and air. The operation of stone crushers is in violation of the "Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant, Readimix Plant Policy, 2019" laying down minimum distance from the river, requirement of water sprinklers to neutralize the dust and installing Dust and Noise Control Devise. Transportation of the stones is also without requisite

precautions against air pollution. Untreated toxic effluents are discharged into the local stream which is source of drinking water.

2. Having regard to the averments in the application, which are sought to be supported by photographs annexed and the media reports, we find it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrates concerned, Nainital, to undertake visit to the sites and ascertain the compliance status of functioning of the said stone crushers. The State PCB will be Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may give its report within two months by email at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.

List for further consideration on 08.10.2021.

A copy of this order be forwarded to the CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrate, Nainital by e-mail for compliance.

The applicant may furnish a set of papers to the CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrate, Nainital to facilitate compliance of the above order.

I.A. No. 122/2021 for exemption from translation stands disposed of.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM


M. Sathyanarayanan, JM

Brijesh Sethi, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

June 24, 2021  
Original Application No. 132/2021  
AVT

## PROCESS FLOW DIAGRAM MAA NANDA STONE CRUSHER



**उत्तराखण्ड शासन**  
**औद्योगिक विकास अनुभाग-2**  
**संख्या: 2920 / VII-II-II / 68-रिट / 2008,**  
**देहरादून: दिनांक: 18 नवम्बर, 2011**

**कार्यालय-ज्ञाप**

उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर्स को अनुज्ञा दिए जाने में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोकथाम, प्रदेश के जन साधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिए जाने एवं ऐसी इकाईयों को सुचारु रूप से संयोजित करने के लिए निम्नवत् नीति प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**उत्तराखण्ड के "पर्वतीय क्षेत्र" हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011**

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** 1. (क) इस नीति का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011" है।  
 (ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएं** 2. जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो-  
 (क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।  
 (ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है।  
 (ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है।  
 (घ) "आयुक्त" से किसी गण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है।  
 (ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है।  
 (च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो वा नहीं, सम्मिलित है-  
 (छ) शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं परन्तु सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए उक्त अधिनियम दिये गये हैं।  
 (ज) "पर्वतीय क्षेत्र" से जनपद उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, यम्पावत, (टनकपुर ब्लाक छोड़कर) नैनीताल (हल्द्वानी ब्लाक, रामनगर ब्लाक छोड़कर), देहरादून (सहरापुर ब्लाक, डोईवाला ब्लाक, रावपुर ब्लाक छोड़कर) क्षेत्र से अभिप्रेत है।

### 3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का स्थान चयन हेतु समिति का गठन—

(क) राज्य सरकार राज्य में कार्यरत स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा स्थापित होने वाले ऐसे क्रेशर /प्लांटों के चयनित स्थल की जांच निम्नवत गठित समिति करेगी। समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिपोर्ट समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- उपजिलाधिकारी (जिस क्षेत्र में प्रस्तावित/कार्यरत संयंत्र) अध्यक्ष
- प्रभागीय वनाधिकारी या उनका प्रतिनिधि सदस्य
- उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि सदस्य
- भूवैज्ञानिक, जिला टारक फोर्स कार्यालय सदस्य
- खान अधिकारी/खान निरीक्षक सदस्य सचिव

### 4- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु मानक:-

क्र.सं.	स्थान	संयंत्र से न्यूनतम दूरी
0	1	2
1.	सरकारी वन	100 मीटर
2.	नदी के किनारे से	100 मीटर
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	125 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम	175 मीटर
5.	आवासीय भवन (एक परिवार का एक मकान)	125 मीटर
6.	आवासीय क्षेत्र (एक से अधिक मकान तथा एक से अधिक परिवार)	175 मीटर

(क) विशेष परिस्थितियों में समिति द्वारा स्टोन क्रेशर के स्थापना से सम्बन्धित किसी मानक को शिथिल किये जाने की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा उपरोक्त मानकों को शिथिल करते हुए स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान किया जा सकता है।

(ख) उक्त समिति का यदि समाधान हो जाये कि ऐसा करना आवश्यक है तथा क्रेशर का व्यवसायिक उपयोग न होने के दृष्टिगत, उन जल विद्युत परियोजनाओं, जिनके संबन्ध में पर्यावरण सन्नाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (पर्यावरण प्रभाव आगणन अधिसूचना) जारी हो चुकी हो तथा जिनको वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त हो गई हो, के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना तथा अनुमति के आधार पर आवश्यकतानुसार, परियोजना परिक्षेत्र के अर्न्तगत केवल परियोजनाओं में प्रयोग हेतु स्टोन क्रेशर उत्पादों के निमित्त स्टोन क्रेशर स्थापित करने के प्रयोजनार्थ वर्णित दूरियों में शिथिलता प्रदान करने की संस्तुति कर सकेगी।

### 5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट इकाई हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल एवं क्षमता:-

क्र.सं.	संयंत्र	उत्पादन क्षमता	क्षेत्रफल
1.	स्टोन क्रेशर	क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक	न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 एकड़
		200 टन प्रतिदिन से अधिक	प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/2 एकड़ अतिरिक्त
2.	स्क्रीनिंग प्लांट	क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक	न्यूनतम क्षेत्रफल 1/2 एकड़
		200 टन प्रतिदिन से अधिक	प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/4 एकड़ अतिरिक्त

(क) समिति द्वारा स्टोनक्रेशर के स्थापना से सम्बन्धित किसी मानक को शिथिल किये जाने की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान किया जा सकता है।

पल्वराइजर (Pulverizer) का स्थान-

6. (क) राज्य सरकार राज्य में कार्यरत तथा स्थापित होने वाले पल्वराइजर हेतु निम्नलिखित समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिपोर्ट समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा-

- उपजिलाधिकारी (जिस क्षेत्र में प्रस्तावित/कार्यरत संयंत्र) अध्यक्ष
- उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि सदस्य
- भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय सदस्य
- खान अधिकारी/खान निरीक्षक सदस्य सचिव

(ख) पल्वराइजर प्लान्ट केवल बन्द गोदाम में स्थापित होंगे।

**स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराइजर प्लान्ट में कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन-**

7. (क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराइजर में कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के प्राविधानों के अधीन करना होगा। जिसके अनिलेखों एवं भण्डारणों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी /खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा किया जायेगा।

(ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर में न्यूनतम 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर 13 फीट से अधिक ऊँचाई तक कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण न हो। यदि कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक (विन्दु 8 (ग) में वर्णित) से अधिक होती है, तो उक्त भण्डारण को अवैध भण्डारण मानते हुए स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी के विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अनुसार जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

**स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वामी के दायित्व-**

8. (क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट रोड साईड कंट्रोल एक्ट के अनुसार स्थापित होना अनिवार्य है।

(ख) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयंत्र (Equipment) परिसर की चार दीवारी (Boundary wall) के अन्दर मध्य में स्थापित होना चाहिए।

(ग) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ कम से कम 15 फीट ऊँची चार दीवारी का निर्माण इकाई की परिधि में किया जाना होगा। न्यूनतम 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर अधिकतम 13 फीट ऊँचाई तक कच्चे माल या तैयार माल का भण्डारण किया जा सकेगा। यदि इकाई परिसर में 13 फीट से अधिक ऊँचाई के तैयार व कच्चे माल के भण्डारण की आवश्यकता है, तो चार दीवारी की ऊँचाई उक्त ऊँचाई



- (ख) जनपद के स्टोन क्रेशर स्वामी को उपखनिज का खनन पट्टा दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ग) शासकीय निर्माण इकाईयों/संस्थाओं के द्वारा निर्माण कार्य हेतु ग्रेट आदि क्रय करने हेतु उपलब्धता एवं दरों के आधार पर स्थानीय स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट से भी प्रस्ताव प्राप्त करते हुए विचार किया जायेगा।
- (घ) पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक जनपद में दस से अधिक स्टोन क्रेशर की स्थापना नहीं की जायेगी परन्तु स्थानीय आवश्यकतानुसार सगिति की स्पष्ट संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकती है।
- (ङ) प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से स्टोन क्रेशर के संचालन हेतु प्रति वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रथा को शिथिल करते हुए प्रतिवर्ष पर्यावरणीय जांच/निरीक्षण आख्या में कोई प्रतिकूल आदेश न होने तक स्वतः चालू रखने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

### स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराईजर अनुज्ञा की स्वीकृति

- 12 (क) इस नीति के उपरान्त प्रदेश में स्थापित/नवीनीकृत होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराईजर अनुज्ञा हेतु पंजीकरण कराने से पूर्व भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹ 50000.00 (रुपये पचास हजार मात्र) उत्पादन क्षमता 200 टन प्रतिदिन हेतु एवं उसके ऊपर प्रति 100 टन अथवा भाग पर 50,000.00 (रुपये पचास हजार मात्र) के अतिरिक्त शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक 0853-अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करा कर आदेदन निर्धारित प्रपत्र पर क्षेत्र का राजस्व मानचित्र एवं साईट प्लान जिसमें प्रस्तावित संयंत्र का ब्यौरा अंकित हो निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को जमा किया जायेगा।
- (ख) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा पंजीकरण के उपरान्त तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड से संयंत्र चालू करने की अनुमति के उपरान्त सूहन, लघु एवं मध्यम इण्टरप्राइजेज एक्ट (MSME) के अधीन जिला उद्योग केन्द्र में रिटर्न दाखिल करना होगा।
- (ग) वर्तमान में चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराईजर भी उक्त मागकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (घ) पूर्व से चल रहे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराईजर को नये स्थान पर इस नीति के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष में स्थानान्तरित करना होगा। उक्त अवधि के अन्दर यदि वे उक्त इकाईयों को स्थानान्तरित नहीं करते हैं तो उनकी अनुज्ञा का नवीनीकरण अग्रतार नहीं किया जायेगा। नीति के प्रख्यापन की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर भी नई इकाईयों के लिए न तो ऐसे क्षेत्र में नयी अनुज्ञा की स्वीकृति दी जायेगी और न ही पुरानी अनुज्ञा की अवधि में विस्तार किया जायेगा। पुरानी इकाईयों के लिए कच्चा माल/तैयार माल के भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के लिए भण्डारण की अनुज्ञा भी उक्तवत अवधि तक ही दी जायेगी। इस अवधि में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Consent to operate की अनापत्ति निर्धारित मानकों के पूर्ण होने की दशा में प्रदान की जायेगी।
- (ङ) प्रस्तर 3(क) एवं 5(क) के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की गठित सगिति स्थापित होने वाले एवं चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराईजर प्लांट के नवीनीकरण हेतु सदस्य सचिव के माध्यम से सगिति, संयुक्त निरीक्षण कर वयनित स्थल की रिपोर्ट सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन स्तर से अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा (03) तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

(घ) स्टोन क्रेशर/स्लीनिंग प्लान्ट/पल्पर/ईजर प्लान्ट की अनुज्ञा का नवीनीकरण (03) तीन वर्ष की समय सीमा के पश्चात् किया जायेगा।

रामकेश शर्मा  
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या: (1)/VII-II-11/68-रिट/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग/भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमायूँ मण्डल विकास निगम/उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
8. गोपन अनुभाग।
9. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की, जनपद हरिद्वार को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

किरान नाथ  
अपर सचिव



GSI NO. - 05ACPF5303201211

MOBILE NO. - 9837704791

Annexure-5

**M/S SHRI MAA NANDA STONE CRUSHER**

\*Manufacturer \* All Types of Grit and Sand

Village - Nainicheck, Post Office - Betalghat, Pin Code - 263134, Distt. -  
Nainital State - Uttarakhand**SALE PURCHASE F.Y. 20-21**


F.Y-20-21	MONTH	IN MT				
		OPE. STOCK	PURCHASED	TOTAL	SALE	CLO. STOCK
	Apr-20	38972.60		38972.60		38972.60
	May-20	38972.60	858.00	39830.60	5022.70	34807.90
	Jun-20	34807.90	17872.00	52679.90	4534.70	48145.20
	Jul-20	48145.20		48145.20	4526.40	43618.80
	Aug-20	43618.80		43618.80	4904.10	38714.70
	Sep-20	38714.70		38714.70	5007.70	33707.00
	Oct-20	33707.00	426.40	34133.40	2651.20	31482.20
	Nov-20	31482.20		31482.20	1433.80	30048.40
	Dec-20	30048.40	1077.40	31125.80	622.10	30503.70
	Jan-21	30503.70	1803.70	32307.40	3729.70	28577.70
	Feb-21	28577.70	21422.50	50000.20	3510.20	46490.00
	Mar-21	46490.00	15724.40	62214.40	5125.50	57088.90
	<b>TOTAL</b>		<b>59184.40</b>		<b>41068.10</b>	

**SALE PURCHASE F.Y. 21-22**

F.Y-21-22	MONTH	IN MT				
		OPE. STOCK	PURCHASED	TOTAL	SALE	CLO. STOCK
	Apr-21	57088.90	6771.30	63860.20	10751.40	53108.80
	May-21	53108.80	10170.10	63278.90	10519.30	52759.60
	Jun-21	52759.60	12884.30	65643.90	9659.30	55984.60
	Jul-21	55984.60		55984.60	8056.50	47928.10
	Aug-21	47928.10		47928.10	3611.40	44316.70
	<b>TOTAL</b>		<b>29825.70</b>		<b>42597.90</b>	

AUTHORISED SIGNATORY





SRI MA NANDA STONE CRUSHER (P.LTD.)  
VILL. NAINI CHOWK. TEH. BETALGHAT  
DISTT. NAINTAL (UK)

LAYOUT PLAN

Annexure-7

# NOIDA TESTING LABORATORIES



(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)  
MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory  
☎ +91-9313611642, 8510081921, 7503051145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

## TEST CERTIFICATE

Test Report of	Report Code	Date of Issue
Ambient Air Quality Analysis	AAQ-220721-01	27/07/2021

**Issued To:** Shri Maa Nanda Stone Crusher  
**Address:** Plot No. - 71, 72, 73, 74, Village - Darmin Naini Chowk, Betalghat  
 District- Nainital (Uttarakhand)

### Sampling & Analysis Data

Sample Drawn By : Laboratory  
 Date of Sampling : 22/07/2021  
 Sample Description : Ambient Air  
 Sampling Plan & Procedure : SOP-AAQ/08  
 Analysis Duration : 23/07/2021 to 27/07/2021  
 Sampling Location : **Main Gate**  
 Average Flow Rate of SPM (m<sup>3</sup>/min.) : 1.07  
 Average Flow Rate of Gases (lpm) : 1.0  
 Sampling Instrument Used : RDS (PM<sub>10</sub>) FPS (PM<sub>2.5</sub>) With Gaseous Attachment  
 Weather Condition : Clear

### TEST RESULT

S. No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Limits as per Environment (Protection) Act.
1.	Suspended Particulate Matter (SPM)	IS:5182 Part-IV	384.0	µg/m <sup>3</sup>	500.0

#### Notes:

1. The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
2. Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
3. This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
4. This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
5. The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless specified by the customer.

CHECKED BY

*R. J. S.*



AUTHORIZED SIGNATORY

**Shri Maa Nanda Stone Crusher**  
*[Signature]*  
 Authorized Signatory



(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)  
MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory  
☎ +91-9317611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

**TEST CERTIFICATE**

<b>Test Report of</b>	<b>Report Code</b>	<b>Date of Issue</b>
Ambient Air Quality Analysis	AAQ-220721-02	27/07/2021

**Issued To:** Shri Maa Nanda Stone Crusher  
**Address:** Plot No. – 71, 72, 73, 74, Village – Darmin Naini Chowk, Betalghat  
 District- Nainital (Uttarakhand)

Sampling & Analysis Data

Sample Drawn By : Laboratory  
 Date of Sampling : 22/07/2021  
 Sample Description : Ambient Air  
 Sampling Plan & Procedure : SOP-AAQ/08  
 Analysis Duration : 23/07/2021 to 27/07/2021  
 Sampling Location : 10.0 meter away from Jaw Crusher  
 Average Flow Rate of SPM (m<sup>3</sup>/min.) : 1.09  
 Average Flow Rate of Gases (lpm) : 1.0  
 Sampling Instrument Used : RDS (PM<sub>10</sub>) FPS (PM<sub>2.5</sub>) With Gaseous Attachment  
 Weather Condition : Clear

**TEST RESULT**

S. No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Limits as per Environment (Protection) Act.
1.	Suspended Particulate Matter (SPM)	IS:5182 Part-IV	386.0	µg /m <sup>3</sup>	500.0

**Notes:**

1. The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
2. Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
3. This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
4. This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
5. The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

CHECKED BY *R. J. J.*

**AUTHORIZED SIGNATORY**  
  
 Shri Maa Nanda Stone Crusher  
 Authorized Signatory *[Signature]*

6. पल्वराईजर प्लांट एवं परिसर में खनिज सौपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क ₹0 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अप्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लांट एवं परिसर में खनिज सौपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।
7. प्लांट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से consent to establish और consent to operate की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

अध्याय-VII. स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट/हाट मिक्स प्लांट/आर0एम0सी0 प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण:

1. स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/आर0एम0सी0 प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत किया जायेगा तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्राप्त की जायेगी। उक्त प्रयोजन के लिये सम्बन्धित प्लान्टों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-
  1. स्टोन केशर का नाम या भागीदारों का नाम परिवर्तन- ₹ 2.00लाख।
  2. स्कीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन- ₹ 1.00 लाख।
  3. हाटमिक्स प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन -₹ 50,000/-
  4. आर0एम0सी0 का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन -₹ 50,000/-
  5. मोबाईल स्टोन केशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-₹ 50,000/-
  6. मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-₹ 25,000/-
  7. पल्वराईजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन -₹ 50,000/-

अध्याय-VIII. पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट का नये स्थान पर स्थानान्तरण

- (1) पूर्व से स्वीकृत एवं स्थापित ऐसे स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट/ पल्वराईजर प्लांट जो वर्तमान नीति के मानक पूर्ण नहीं करते हैं या कतिपय अन्य कारणों से यदि प्लांट का स्थानान्तरण नये अन्यत्र स्थान पर करना चाहता है तथा प्रस्तावित नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एवं दूरी के मानकों के अनुरूप है, तो प्लांट स्वामी के अनुरोध पत्र के क्रम में जनपद स्तर पर गठित समिति की आख्या तथा जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर प्लांट के स्थानान्तरण हेतु अनुमति शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्लांट स्वामी को कोई शुल्क देय नहीं होगा।


*Am*

- (ख) हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट के स्वामी पर प्रतिमाह ₹ 50,000/-का अर्थदण्ड देय होगा।
- (ग) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्टर या उनके उत्पाद अर्थात् कच्चा माल/पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक 0853- अतैह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- (घ) यदि हॉट मिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता के द्वारा जांच/पैमाइश से अपनी लिखित रूप से असहमति व्यक्त की जाती है एवं पुनः जांच/ पैमाइश की मांग की जाती है तो उस दशा में भण्डारणकर्ता से खनन लेखाशीर्षक में ₹ 5,000/- की धनराशि जमा कराने के उपरान्त जांचकर्ता के द्वारा भण्डार की पुनः जांच/पैमाइश करायी जा सकती है इस हेतु भण्डारणकर्ता को खनिज भण्डारणों को आयताकार रूप दिया जाना होगा।
2. हॉटमिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट से धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractor) या धूल के कणों एवं धुआं को हवा में उड़ने से रोकने की विधि का प्रभावी उपयोग उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।
3. स्टोन क्रेशर/स्क्रिनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

प्लान्ट से धूल के कणों के उत्सर्जन को रोकने की विधि

**अध्याय-VI. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति व नवीनीकरण**

1. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-7 में आवेदन शुल्क सहित नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क ₹ 1.00 लाख होगा जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
2. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित स्थल की जांच नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या-1 में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।
3. मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु इस नीति में पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर/स्क्रिनिंग प्लान्ट के निर्धारित दूरी के मानक लागू होंगे तथा क्षेत्रफल न्यूनतम 0.5 एकड़ होगा।
4. पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन की स्वीकृति तथा परिसर में उपखनिज (सोपस्टोन) के कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।



11. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो सम्बन्धित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।
12. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा कररु एवं उपयोग में लाये गये मेटेरियल का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।
13. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट संचालकों को कररु मेटेरियल की मात्रा पर ₹ 1 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्कीनिंग प्लान्ट संचालकों को छाने गये उपखनिज की मात्रा पर 25 पैसा प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं खनिकर्म उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
14. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांटों पर लागू हैं।
15. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
16. पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।

#### अध्याय-V- हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना एवं भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

1. (क) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची-6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से जाँच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी। प्लान्ट स्वामी के द्वारा कय किये गये खनिज का लेखा-जोखा पंजिका "क" में करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।


हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी।



**अध्याय-IV-मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण**

1. राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट को on site स्थापित कर संचालन किया जायेगा।
2. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-5 में वर्णित अभिलेखों एवं अध्याय-2 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
3. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट तथा उक्त प्लांटों के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ-साथ स्वीकृत की जायेगी।
4. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-11 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।
5. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लांट हेतु खनन पट्टाधारक/परियोजना प्रबंधक/ कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रशड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित करेगा।
7. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लांट के संचालन हेतु अनुमति सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।  
प्रतिबन्ध यह होगा कि मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लांट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे।
8. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लांट स्वामी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रख्यापित आदेशों/ अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
9. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय का विज्ञापित प्रकाशित करेगा कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में अग्रोत्तर कार्यवाही की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दस्ता में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए शुष्क-दोष के आधार पर प्लांट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
10. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लांट की on site स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।



4	हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट	₹ 25000/-
---	--------------------------------------	-----------

नोट-1. नये स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना/संचालन की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु उपरोक्त तालिका में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का 01 प्रतिशत की धनराशि आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा अनुज्ञा शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत की धनराशि प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त ई-स्वन्ना जारी होने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।

**अध्याय-III- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण**

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण

1. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-4 में वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क जो अध्याय-2 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जिसका 01 प्रतिशत की धनराशि आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा अवशेष 99 प्रतिशत की धनराशि शासन द्वारा निर्गत नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-स्वन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जाना होगा, तीन प्रतियों में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

(2) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी।

पूर्व नीति से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का संचालन

2. पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट को इस नीति के अध्याय-1 के बिन्दु 3 में उल्लिखित दूरी के मानक तथा अध्याय-1 के बिन्दु 7 के उप बिन्दु (3) के खण्ड (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर शेष मानकों को नीति प्रख्यापन की तिथि से 03 माह की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा;

परन्तु नवीनीकरण के समय इस प्रकार स्थापित इकाईयों को दूरी के मानकों को छोड़कर इस नीति में निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

अनुज्ञा को रद्द/निरस्त किया जाना

3. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

(2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है तो जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।



प्रदेश में इस प्रकार निर्धारित की जाने वाली क्रशिंग क्षमता प्रति घंटा एवं प्रति टन क्रशिंग में प्रयुक्त विद्युत की मात्रा के 10 प्रतिशत मानलों का सत्यापन राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा Random आधार पर प्रति वर्ष कराया जायेगा।

पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों की क्षमता टन प्रति घंटा के अनुसार घोषित करना तथा प्लांट की क्षमता का विनियमितीकरण

10. (1) पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी जिन्होंने अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रतिघंटा में घोषित नहीं किया है अथवा विनियमितीकरण नहीं हुआ है, को इस नीति की घोषणा के बाद दो माह के भीतर अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रति घंटा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा। घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लांट का विनियमितीकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जायेगा। विनियमितीकरण शुल्क नीति के अध्याय-II में वर्णित अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, जिसका 1 प्रतिशत विनियमितीकरण हेतु आदेदन प्रस्तुत करते समय तथा शेष 99 प्रतिशत शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करना होगा। शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लांट स्वामी के द्वारा विनियमितीकरण शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत धनराशि 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं करायी जाती है तो प्लांट का ई-रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा। नीति की घोषणा के दो माह बाद ई-प्रपत्र "जे" केवल विनियमित प्लांट को ही जारी किये जायेंगे।

अध्याय-II- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडीमिक्स प्लांट हेतु अनुज्ञा शुल्क :-

क्र० सं०	संयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क
1	स्टोन क्रेशर	₹ 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	₹ 20.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		₹ 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघंटा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघंटा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्क्रीनिंग प्लांट	₹ 2.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	₹ 4.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		₹ 25,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघंटा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घंटा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
3	मोबाईल स्टोन क्रेशर प्लांट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट	₹ 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु)	
		₹ 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु )	
		₹ 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु )	
		₹ 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)	

*Om*

यदि प्लान्ट स्वामी द्वारा किसी तिमाही में कुल क्रशिंग क्षमता का 80 प्रतिशत क्रश नहीं किया जाता है तो आगामी तिमाही में प्लान्ट स्वामी द्वारा इस प्रकार क्रशिंग की जानी होगी कि दोनों तिमाहियों का औसत कम से कम 80 प्रतिशत हो जाय। यदि लगातार दो तिमाहियों में कम से कम 80 प्रतिशत क्रशिंग क्षमता का उपयोग प्लान्ट स्वामी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्लान्ट स्वामी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर ई-रवन्ना पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा। यदि प्रति वर्ष निर्धारित क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत क्रश नहीं किया जाता है तो अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी। केशर स्वामी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपील शासन में ही की जा सकती है। शासन द्वारा केवल अपरिहार्य स्थिति उद्घाटित होने की दशा में छूट दी जा सकेगी।

- (16) स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व Consent to operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।


स्टोन क्रेशर/  
स्कीनिंग प्लान्ट  
अनुज्ञा की  
स्वीकृति

8. (1) स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा आवेदित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा। जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुसूची-2 में वर्णित अभिलेखों के साथ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा दस वर्ष की अवधि हेतु स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं उपखनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञा साथ-साथ स्वीकृत की जायेगी।

- (2) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा के उपरान्त स्थल पर ऐसी योजना के पूर्ण हो जाने की दशा में उसका उपयोग प्रारम्भ हो जाने पर उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा-143 के अधीन सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्कीनिंग प्लान्ट  
क्षमता का  
निर्धारण

9. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी पूर्व से स्थापित प्लान्ट या स्थापित किये जाने वाले प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में शपथ-पत्र सहित घोषित करेगा। उक्तानुसार घोषित क्षमता के परीक्षण/प्रमाणीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें संबंधित जनपद के खान अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत वितरण निगम के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रचालन/संचालन क्षमता एवं तदनुसार भण्डारण क्षमता निर्धारित की जायेगी। उक्त समिति द्वारा संस्तुत क्षमता अनुमन्य होगी तथा प्रति टन क्रशिंग में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की मात्रा भी यह समिति निर्धारित करेगी।



- (6) संचालक द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।
  - (7) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
  - (8) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फव्वारे की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
  - (9) फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
  - (10) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्कबिंग की जाये। स्कबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाइकिल किया जाये।
  - (11) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट संचालन हेतु खनन पट्टाधारक द्वारा आपूर्ति किये गये उपखनिज का निर्धारित प्रपत्र पर मासिक विवरण संबंधित खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे संबंधित खान अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।
  - (12) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्रतिमाह क्रय किये गये आर०बी०एन० एवं विक्रय किये गये क्रशड मैटेरियल/तैयार माल का विवरण निर्धारित प्रारूप पर संबंधित खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे संबंधित खान अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।
  - (13) प्रत्येक स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा Tamper Proof इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया जाना अपरिहार्य होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीटर को प्रतिदिन प्रारम्भ (Start) और बन्द (Close) किया जायेगा तथा इसकी मीटर रीडिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अभिलिखित की जायेगी।
  - (14) स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा समस्त वित्तीय लेखे Double Entry Accounting System के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।
  - (15) स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रय एवं विक्रय का समस्त भुगतान बैंक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।
- स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्रत्येक तिमाही में कुल क्रशिंग क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत क्रश किया जाना अनिवार्य होगा। प्लान्ट स्वामी की क्रशिंग क्षमता का अक्टूबर से दिसम्बर की प्रथम तिमाही की समाप्ति के उपरान्त जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रथम निरीक्षण, जनवरी से मार्च की द्वितीय तिमाही की समाप्ति के उपरान्त अप्रैल के प्रथम सप्ताह में द्वितीय निरीक्षण, अप्रैल से जून की तृतीय तिमाही की समाप्ति के उपरान्त जुलाई के प्रथम सप्ताह में तृतीय निरीक्षण एवं जुलाई से अक्टूबर की चतुर्थ तिमाही की समाप्ति के उपरान्त नवम्बर के प्रथम सप्ताह में चतुर्थ निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। यह निरीक्षण संबंधित खान अधिकारी, सहायक भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक अथवा क्षेत्र के उपजिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका केसरवार रिकार्ड खान अधिकारी एवं संबंधित केसर स्वामी के पास रखा जाना अनिवार्य होगा।

*Am*

- (ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (घ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा तैयार माल पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क (₹ 1 प्रति कुंतल स्टोन क्रेशर हेतु एवं 25 पैसे प्रति कुंतल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु) जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
- (ङ) स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्टों द्वारा दन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material दन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
अनुज्ञा देने हेतु  
शर्त

7. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट/ स्क्रीनिंग प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की बाहरीदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा।
- (2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ बाहरीदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी० ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएँ।  
भण्डारण ऊंचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से कराया जाना होगा। कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्ध दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
- (3) (क) इस नीति की घोषणा के बाद स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टस्वामी को ऐसा संयंत्र स्थापित करना होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  से कम हो।  
(ख) इस नीति की घोषणा के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को ऐसा संयंत्र स्थापित करना होगा, जो Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के निम्न प्रावधानानुसार निर्धारित मानकों निम्न मानकानुसार हो :-

Ambient air quality standards in respect of Noise

Area code	Category of Area/ Zone	Limits in db(A) Leq	
		Day Time	Night Time
(A)	Industrial Area	75	70
(B)	Commercial Area	65	55
(C)	Residential Area	55	45
(D)	Silence Area	50	40

Note -

Day time shall mean time from 6.00 a.m. to 10.00 p.m.

Night time shall mean time from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

इस नीति के प्रख्यापन से पूर्व में स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों को भी उक्त मानकों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।

(4) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(5) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़ें।



(घ) कच्चा माल (आरबीएम) एवं पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊंचाई तक।

(छ) वर्षा अवधि हेतु कच्चा माल (आरबीएम) का भण्डारण का क्षेत्रफल

$$= \frac{क \times ख \times 90}{22 \times 5}$$

$$(वर्गमीटर में)$$

$$(1 \text{ घनमीटर} = 22 \text{ टन})$$

(ज) वर्षा काल से मिन अवधि हेतु कच्चा माल की एक समय में भण्डारण हेतु क्षेत्रफल =

$$\frac{क \times ख \times 45}{22 \times 5}$$

$$(वर्गमीटर में)$$

(झ) तैयार माल के भण्डारण, हरित पट्टिका, प्लान्ट की स्थापना एवं वाहनों के आवाजाही एवं रखरखाव इत्यादि हेतु क्षेत्रफल वर्षाकाल एवं वर्षाकाल से मिन अवधि हेतु कच्चे माल के क्षेत्रफल का योग (छ+ज) का 25 प्रतिशत होगा।

(ट) कुल क्षेत्रफल = छ+ज+झ वर्गमीटर

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
हेतु आवेदन के  
सम्बन्ध में  
प्रकाशित  
विज्ञापन के क्रम  
में प्राप्त  
आपत्तियों का  
निसाकरण किया  
जाना

5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 03 दिन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार हो, में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/व्यक्ति आदि, जो निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आता हो तथा उक्त स्थल पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा स्थापित/संचालन किये जाने से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रस्तुत करेंगे। उक्तानुसार प्रकाशन के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है, तो उक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर उक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशक को संस्तुति सहित प्रेषित किया जायेगा। तदुपरान्त निदेशक द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
में कच्चे माल/  
तैयार माल का  
भण्डारण एवं  
परिवहन

6. (क) स्टोन क्रेशर संचालकों को क्रशर मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर ₹0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लान्ट/क्रेशर प्लान्टमें छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर ₹0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रदेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराइज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0पी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिर्काडिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।



तहसीलदार व निदेशालय स्तर के उपनिदेशक एवं उच्च स्तर के अधिकारी तथा शासन स्तर के अनुसचिव एवं उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

17. नये स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति के लिए वही आवेदनकर्ता पात्र होगा, जिसके पास स्वयं का पट्टा अथवा/और जिसके पक्ष में शासकीय निगमों अथवा व्यक्तिगत पट्टाधारकों से आपूर्ति हेतु मात्रा का विधिवत पंजीकृत अनुबन्ध है एवं प्रस्तावित क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष शेष क्षमता का स्वयं के पक्ष में स्वीकृत पट्टा अनुबन्ध है। इन सभी का पूर्ण विवरण सशपथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
की स्थापना हेतु  
दूरी के मानक

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन हेतु क्षैतिज दूरी के निम्नलिखित मानक होंगे:-

क्र.सं०	स्थान	स्टोन क्रेशर	स्क्रीनिंग प्लांट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर
2.	(क) जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	1.5 किलोमीटर	1.5 किलोमीटर
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से	01 किलोमीटर	01 किलोमीटर
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से	500 मी०	500 मी०
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर
5.	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर

टिप्पणी :-

- (1) पर्वतीय क्षेत्र के स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों की नदी (Perennial river) से न्यूनतम दूरी 250 मीटर होगी। शेष दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत होंगे।
- (2) गठित समिति अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्लांट से दूरी हेतु निर्धारित मानकों के सापेक्ष मौके के अनुसार प्लांट की वास्तविक दूरी का उल्लेख किया जायेगा।
- (3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
हेतु न्यूनतम  
क्षेत्रफल

4. इस नीति के प्रख्यापित होने के पश्चात आवेदित/प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल जो एक संहत खण्ड में हो, का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :-

- (क) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता - टन प्रति घंटा
- (ख) प्रतिदिन स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालन की अवधि - औसतन 10 घंटा प्रतिदिन
- (ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन हेतु कच्चा माल आर०बी०एम० की आवश्यक मात्रा प्रतिदिन = क x ख टन प्रतिदिन
- (घ) वर्षा ऋतु आदि हेतु खनन घुगान की एक वर्ष में बंदी की अवधि = 90 दिन। वर्षा काल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर०बी०एम० की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता = 90 x क x ख = टन में।
- (ङ) वर्षा काल से भिन्न अवधि अर्थात् अक्टूबर से जून तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता 45 x क x ख (टन में)

Am

4. स्टोन क्रेशर, स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकृत परामर्शदाता (Authorized consultant) द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अधिकृत परामर्शदाता का सूचीबद्धीकरण (Empanelment) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा। स्टोन क्रेशर, स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। अधिकृत परामर्शदाता द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उन्हें काली सूची (Black list) में डाला जायेगा।
5. आवेदित स्थल का खसरा विवरण।
6. आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा दिलेख प्लान्ट हेतु स्वीकृत अवधि का होना आवश्यक है।
7. आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करने के उपरान्त स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।
8. आवेदक यदि फर्म या कंपनी हो तो फर्म का विधिवत रजिस्ट्रेशन एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति या विधिक ग्राह्यता वाले मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग की प्रति।
9. स्थाई निवास प्रमाण-पत्र।
10. आवेदक/भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र।
11. आवेदक/भागीदारों का खनन अदेयता प्रमाण पत्र जो संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
12. जी०एस०टी० नम्बर।
13. आयकर अदेयता प्रमाण पत्र/ शपथ पत्र।
14. स्कीनिंग प्लान्ट से निकलने वाले अनुपयुक्त उपखनिज का निस्तारण का प्रकार एवं विधि का विवरण का शपथ पत्र।
15. स्टोन क्रेशर स्वामी/ स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल (आर०बी०एम०) की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को सूचित किया जाना होगा। इस हेतु संचालक का स्वयं का खनन पट्टा अथवा/और खनन पट्टाधारक (निजी नाप/राजस्व भूमि/वन निगम/ग०म०वि०नि०/कु०म०वि०नि०) के मध्य हुए उपखनिज आपूर्ति का निर्धारित प्रपत्र अनसूची-3 के अनुसार पंजीकृत अनुबन्ध न्यूनतम 05 वर्ष की उपखनिज आपूर्ति के आशय का संलग्न होना आवश्यक है। स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अनुबंधित पट्टा धारकों से ही कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। स्टोन क्रेशर स्वामी/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अनुबंधित खनन पट्टा धारकों से इतर पट्टा धारकों से उपखनिज की आपूर्ति नहीं की जायेगी। उक्त शर्त का उल्लंघन प्रमाणित होने पर स्टोन क्रेशर स्वामी/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करते हुए एक सप्ताह की समयावधि में ई-स्वन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना/संचालन तथा उक्त प्लान्टों के परिसर में उप खनिज भण्डारण की स्वीकृति जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा एक साथ प्रदान की जायेगी। प्लान्ट स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये खनिज का लेखा-जोखा पंजिका "क" में करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट में उपखनिज कच्चा माल व पक्का माल के भण्डारण व सम्बंधित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उप जिलाधिकारी/ जिला खान अधिकारी संबंधित तहसील के तहसीलदार/नायब

*Om*

का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;

- (झ) "खनन सत्र" से 01 अक्टूबर से आगामी 30 सितम्बर तक अभिप्रेत है;
- (ञ) "आबादी" से स्टोन केशर हेतु आवेदित दिनांक को अवस्थिति राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ट) "On site स्थापना" से नदी/गधेरे में स्वीकृत घुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थापना अभिप्रेत है;
- (ठ) "नदी" से ऐसे नदी, जिसमें जल का प्रवाह निरन्तर वर्षभर होता रहता है (Perennial river) तथा जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है Non-Perennial river अभिप्रेत है;
- (ड) "नियमावली" से उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 अभिप्रेत है;
- (ढ) "नदी के किनारे" से उच्चतम बाढ़ स्तर "Highest flood level" अभिप्रेत है;
- (ण) "शब्द और पद" जो इस नीति में परिभाषित नहीं है, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी किया जायेगा।

#### अध्याय-1. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट

स्टोन केशर  
प्लांट/स्कीनिंग  
प्लांट स्थल  
घयन हेतु  
समिति

#### 1. स्थल घयन एवं स्थल की जांच हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा :-


- |   |             |
|---|-------------|
| 1. संबंधित जनपद का जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी                 | अध्यक्ष     |
| 2. प्रस्तावित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी   | सदस्य       |
| 3. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो | सदस्य       |
| 4. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि                                    | सदस्य       |
| 5. भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स  | सदस्य       |
| 6. सम्बन्धित जिला खान अधिकारी   | सदस्य सचिव। |

उपरोक्तनुसार गठित समिति के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची-1 में प्रस्तुत की जायेगी।

स्टोन केशर  
प्लांट/स्कीनिंग  
प्लांट हेतु  
आवेदन

#### 2. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-2 में वर्णित निम्न अभिलेखों एवं अनुज्ञा शुल्क सहित छः प्रतियों में संबंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा-

1. आवेदन प्रपत्र।
2. अनुज्ञा शुल्क संयंत्र की क्षमता के अनुसार।
3. आवेदित स्थल का खसरा मानचित्र।



उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-1  
संख्या: 905/VII-1/2020/68-रिट/08टीसी  
देहरादून, दिनांक: 21 जुलाई, 2020

कार्यालय झाप

राज्यपाल खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019 को अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. इस नीति में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;


(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा उनको न्यस्त किया गया है;

(च) "व्यक्ति" से जो भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;

(ज) "मैदानी क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर



उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोनक्रशर/स्कीनिंग प्लान्ट तथा प्लवराइजर अनुज्ञा नीति 2011 के अनुसार प्रो० दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन क्रशर द्वारा ग्राम रौलिया लग्गा नैनीचोक मय पांच चौक तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल में प्रस्तावित स्टोन क्रशर प्लान्ट स्थल की संयुक्त जांच आख्या।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोनक्रशर/स्कीनिंग प्लान्ट तथा प्लवराइजर अनुज्ञा नीति 2011 के अनुसार प्रो० दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन क्रशर द्वारा ग्राम रौलिया लग्गा नैनीचोक मय पांच चौक तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल के खाता सं० 1 के खेत सं० 71 रकबा 0.191 है० 72 रकबा 0.115 है०, 73 रकबा 0.136 है० तथा 74 रकबा 0.184 है० कुल रकबा 0.626 है० क्षेत्रफल में 200 मैट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के लगाये जा रहे स्टोन क्रशर स्थल का निरीक्षण उपजिलाधिकारी, कोश्याकुटीली की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों/प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 29.12.2014 को किया गया। आवेदक द्वारा 200 मैट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के स्थापित होने वाले क्रशर हेतु आवेदन शुल्क 50,000 निर्धारित लेखा शीर्षक में धालान सं० 170 दिनांक 23 सितम्बर, 2014 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक हल्द्वानी में जमा करा दिया गया है। आवेदक द्वारा स्टोन क्रशर प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु आवेदित भूमि पर स्वयं का स्वामित्व नहीं है। उक्त भूमि भूस्वामी श्री बलवन्त सिंह पुत्र स्व० श्री गंगा सिंह, श्रीमती कान्ति देवी पत्नी स्व० गंगा सिंह, प्रताप सिंह, चन्दन सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व० श्री दीवान सिंह, कुवर सिंह पुत्र श्री करम सिंह, हीरा सिंह, भगवन्त सिंह पुत्रगण श्री नरसिंह, पुष्कर सिंह पुत्र स्व० श्री खीम सिंह, श्रीमती धनी देवी पत्नी स्व० श्री खीम सिंह, पूरन सिंह पुत्र अनुप सिंह के नाम श्रेणी वर्ग 1क संकमणीय भूमि भूमिधरी के नाम दर्ज है। उक्त भूस्वामियों द्वारा आवेदक को प्लान्ट में नोटराइज्ड अनापत्ति प्रदान की गई है जो कि मूल में सलग्न है।

निरीक्षण के उपरान्त पाया गया कि आवेदनकर्ता द्वारा दिखाये गये स्थल के अनुसार उक्त प्रस्तावित संयंत्र के सरकारी वन 100 मीटर की दूरी पर, नदी किनारे से 100 मीटर की दूरी पर, धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बदा आदि) से 125 मीटर, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम 175 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। स्थिति आवासीय मकान (एक परिवार का मकान) से 125 मीटर के अन्दर स्थित है जो उत्तर-पश्चिम की तरफ श्री धनसिंह के मकान का आवासीय मकान, जो लगभग मध्य से 102 मीटर की दूरी पर है, जिसे श्री धन सिंह द्वारा 01.02.2015 से पट्टा के लिए श्री मां नन्दा स्टोन क्रशर को कार्यालय प्रयोजन हेतु किराये पर दिया गया है। का इकरारनामा/किरायानामा के नोटराइज्ड प्रति आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी है तथा दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर श्री दान सिंह आदि का मकान स्थित है लेकिन मौक पर उक्त मकान में कोई नहीं रहता है, वो मध्य बिन्दु से लगभग 128 मीटर की दूरी पर है। प्रसंगत स्थल के उत्तर में श्री धनसिंह की भूमि व मकान, दक्षिण में श्री जगत सिंह आदि की भूमि पूर्व में श्री धनसिंह आदि की भूमि एवं श्री दान सिंह आदि की भूमि जो रिक्त पड़ी हुई है एवं पश्चिम में श्री बच्ची सिंह खाल की भूमि फिर रोड तथा 100 मीटर की दूरी पर कोसी नदी स्थित है।

**प्रतिनिधि**, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा बताया गया कि स्टोन क्रशर स्वामी द्वारा शासन से अनुमति प्राप्त होने के बाद उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा संचालन हेतु जल, वायु सहमति (सीओओपीओ) प्राप्त करना आवश्यक होगा।

सहायक भूवैज्ञानिक द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार आवेदक श्री दीपक साह द्वारा ग्राम रौलिया लग्गा नैनीचोक मय पांच चौक, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल में स्टोन क्रशर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल खैरना से लगभग 13 किमी० की दूरी पर ग्राम रौलिया लग्गा नैनीचोक मय पांच चौक में मोटर मार्ग के उत्तर-पूर्व की ओर स्थित है। स्थल वर्तमान में एक कृषि भूमि है। निरीक्षण के समय प्रस्तावित स्थल के कुछ भाग में गेहूँ की फसल स्थित है तथा शेष भाग में कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। स्थल के उत्तर-पूर्व की ओर स्थल से लगभग 02 मीटर कम ऊंचाई वाला भूभाग स्थित है जिसे वर्तमान में कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। स्थल के उत्तर-पश्चिम की ओर कृषि भूमि तथा एक आवासीय भवन स्थित है। निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि इस भवन को आवेदक द्वारा 15 वर्ष के लिये किराये पर लिया गया है तथा इस भवन को आवेदक

उपजिलाधिकारी कोश्याकुटीली  
दिनांक 29.12.2014

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

अपने स्टोन क्रशर के कार्यालय उपयोग में लाया जायेगा जिससे सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव के साथ स्तम्भ किये गये हैं। स्थल के दक्षिण-पूरब की ओर स्थल से लगभग 01 मीटर अधिक ऊंचाई वाला भूभाग स्थित है जिसमें वर्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है तथा इस भूभाग में गेहू की फसल स्थित है। स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर खुला भूभाग (कृषि भूमि) तथा उसके बाद मोटर मार्ग स्थित है जिसका स्थल के निकट समरेखण  $140^{\circ}-330^{\circ}$  है। निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पश्चिमी किनारे से मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसकी कुल लम्बाई 20 मीटर तथा समरेखण  $50^{\circ}-230^{\circ}$  है। स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित आवासीय भवनों व नदी की, स्थल के मध्य बिन्दू से दूरी के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से स्थिति स्पष्ट की जानी आवश्यक होगी। आवेदक द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं मानचित्र के अनुसार चयनित स्थल एक लगभग चतुर्भुजाकार भूखण्ड है जिसका क्षेत्रफल 0.626 हेक्टेयर है। स्थल परिसर की चारदीवारी के अन्दर मध्य में ही संयन्त्र (डैक) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूखण्ड चार भुजाओं में घिरा भूभाग है जिसका प्रत्येक किनारा निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है:-

- उत्तरी किनारा (बिन्दू) उत्तर  $29^{\circ} 32' 28.4''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 27.5''$  देशान्तर पर,
- पश्चिमी किनारा (बिन्दू) उत्तर  $29^{\circ} 32' 27.0''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 26.1''$  देशान्तर पर,
- दक्षिणी किनारा (बिन्दू) उत्तर  $29^{\circ} 32' 24.2''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 27.2''$  देशान्तर पर,
- पूर्वी किनारा (बिन्दू) उत्तर  $29^{\circ} 32' 25.5''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 29.6''$  देशान्तर पर,

प्रस्तावित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं० 53 0/6 के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 818 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रस्तावित स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में कृषि भूमि स्थित है जिसमें वर्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित स्थल पर स्वस्थानिक चट्टाने दृष्टिगोचर नहीं होती है। स्थल की सतह पर मोटे कणों वाली भूरे रंग की मृदा का मोटा आवरण है। स्थल की स्थलाकृति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि स्थल को एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र को कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से यह सम्पूर्ण क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रंखला के विकसित सोपानों मध्य रामगढ़ समूह की नथुवाखान बेतालघाट इलाई के अन्तर्गत स्थित है। प्रस्तावित स्थल कोसी नदी के आवाह क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जो कोसी नदी के उत्तर-पूर्वी किनारे पर स्थित है। स्थल पर एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित खुले भूभागों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि स्थल पर ऊपर की ओर स्थित भाग स्थल के उत्तर-पूर्व की ओर स्थित, स्थल से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढालदार भूभाग के अपरदन से कालान्तर में टूटकर आये अवसादों के स्थल पर निक्षेपित हुए भाग से निर्मित है जो वर्तमान में स्थिर हो गया है जबकि स्थल पर नीचे की ओर स्थित भाग नदी के द्वारा कालान्तर में अपने साथ बहाकर लाये गये नदीय अवसादों के स्थल पर एकत्रित होने से निर्मित है जिसमें अधिक मात्रा में बाल्डर, कोबेल व पैबल स्थित होने की सम्भावना है। प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर कोसी नदी स्थित है जिसका स्थल के निकट समरेखण  $140^{\circ}-330^{\circ}$  तथा बहाव दक्षिण-पूरब से उत्तर-पश्चिम की ओर है। स्थल पर सामान्य ढलाने  $10^{\circ}-15^{\circ}$  हैं जिनकी दिशा उत्तर  $330^{\circ}$  है। स्थल पर स्थित ढलानों को पूर्व में ही कृषि कार्य हेतु स्तरों में विकसित किया गया है। स्थल पर स्टोन क्रशर की स्थापना किये जाने हेतु स्थल को विकसित कर समतल किये जाने की आवश्यकता है। निरीक्षण के समय स्थल पर भूधंसाव के कोई चिन्ह नहीं पाये गये। स्थल वर्तमान में स्थिर (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होता है।

*(Handwritten signatures and initials)*

स्थल विकास एवं स्टोन क्रशर की स्थापना हेतु निर्माण कार्य करते समय आवेदक द्वारा निम्न प्राविधानों



सूचना किया जाना आवश्यक होगा:-

1. प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित मोटर मार्ग से नियमानुसार पर्याप्त दूरी पर ही निर्माण कार्य किया जाना होगा तथा स्थल के चारों ओर नियमानुसार चारदीवारी का निर्माण किया जाना होगा।
2. चयनित स्थल परिसर की सीमा के अन्दर मध्य बिन्दू का निर्धारण नियमानुसार किया जाना होगा तथा स्थल परिसर की चारदीवारी के अन्दर मध्य में ही संयन्त्र (डैक) स्थापित किया जाना होगा।
3. स्थल पर निर्माण कार्य इस प्रकार से किया जाना होगा कि स्थल के निकटवर्ती भूभाग में स्थित सिंचाई गूलों को कोई क्षति नहीं पहुंचने पाये।
4. स्थल परिसर में प्रस्तावित कार्यालय भवन आदि का निर्माण करते समय नींव को यथोचित गहराई तक ले जाया जाना तथा भवन का निर्माण भूकम्प के अधिकतम परिमाणों के कम्पनो को दृष्टिगत रखते हुए भूकम्परोधी तकनीक को अपनाते हुए किया जाना आवश्यक होगा।
5. स्थल पर निर्माण कार्य, स्थल की भारग्रही क्षमता के अनुरूप ही किया जाना होगा।
6. स्थल पर प्रयोग किये जाने वाले जल तथा वर्षाजल की निकासी हेतु सक्षम जलप्रवाह तन्त्र विकसित किया जाना भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से आवश्यक होगा।
7. प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य करने के उपरान्त तथा इकाई में उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, स्थल का पुनः निरीक्षण कराया जाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थल के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया गया है।
8. उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के शासनादेश सं० 2920/V-II-11/68-रिट /2008 देहरादून: दिनांक 18 नवम्बर, 2011 में दिये गये नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में ही स्थल पर स्टोन क्रशर लगाये जाने हेतु स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत होता है।



अतः उपरोक्त सुझावों के पूर्णतया अनुपालन की दशा में ही उपरोक्त स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से स्टोन क्रशर के निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त सुझावों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत परिस्थितियों के लिये आवेदक स्वयं ही उत्तरदायी होगा।

राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु शासनादेश सं० 2920/VII-II-II /68-रिट/2008 देहरादून दिनांक 18 नवम्बर, 2011 के अनुसार स्थल चयन हेतु स्टोन कशर के प्लान्ट हेतु स्टोन कशर अनुज्ञा नीति 2011 के अनुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।


5

  
 (क्षेत्रीय अधिकारी)  
 पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
 हल्द्वानी  
  
 (उप निदेशक, खनिज)  
 भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई  
 हल्द्वानी

  
 (सर्वेक्षक)  
 भूतत्व एवं खनिकर्म  
 हल्द्वानी  
  
 (सहायक-भूवैज्ञानिक)  
 भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई  
 हल्द्वानी

  
 (प्रभागीय वनाधिकारी)  
 अल्मोड़ा वन प्रभाग  
 अल्मोड़ा  
  
 (उपजिलाधिकारी)  
 कोश्याकुटौली

  
 (उपनिवेशपाल)  
 वेदायतपाठ  
 धरमपुर मंत्रीवाक



स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट इकाईयों की जांच हेतु चैक लिस्ट

(निरीक्षण का दिनांक 04-03-2020)

- इकाई का नाम व पता - मैसर्स श्री मॉनन्दा इंडस्ट्रियल, मैनी चौक, बेतालघाट.  
ग्राम हैलिया लगा, तह बेतालघाट जिला मैनीताल
- इकाई की कसिंग क्षमता (प्रतिघंटा) - १०० टन प्रतिदिन  
५५ टन प्रतिघंटा (विद्यमान दिनांक ०७-१२-२०१९)
- इकाई की स्वीकृति/नवीनीकरण का दिनांक एवं अवधि - ०५ मार्च २०१९ से १८-११-२०२१ तक
- इकाई की भण्डारण क्षमता (एक समय तथा वार्षिक) - ५०,६९४ टन  
आवृत्ति अवधि - १८ नवम्बर २०२१ तक, वार्षिक - ८५,००० टन
- भौक पैमाइश के अनुसार इकाई परिसर में उपलब्ध कच्चे एवं पक्के माल की मात्रा-  
कच्चा माल - ६९५४.८४ टन या १५३००.६५ टन } कुल - ३५९१६.६५ टन  
पक्का माल ९३७०.९१ टन या २०६१६.१० टन }
- निरीक्षण के समय ई-रवना पोर्टल में दर्शित उपखनिज की मात्रा - २१२२५.२३ टन  
SC 66000881
- भौक पैमाइश तथा ई-रवना पोर्टल में दर्शित उपखनिज की मात्रा में अन्तर (प्रतिशत सहित) -  
१४६९१.५२ (६९.२१% अधिक)

Anurag  
16

Pradip

Anurag  
04/03/2020

An

An

An

स्टोन क्रेसर, स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अनुसार इकाई की दूरी :-

क्र० सं०	स्थान	मैदानी क्षेत्र हेतु संयंत्र से न्यूनतम निर्धारित दूरी (मी० में)		मीके पैमाइश अनुसार वास्तविक दूरी	निर्धारित मानक पूर्ण करता है या नहीं।	अव्यक्ति
		स्टोन क्रेसर	स्क्रीनिंग प्लान्ट			
1.	सरकारी वन	100 मीटर	50 मीटर	100 मीटर से अधिक	है।	
2.	(क) नदी के किनारे से दूरी (Maximum Flood level से)	500 मीटर	10 मीटर	105 मीटर	नहीं।	क्रेसर अनुज्ञा 2015 नीति के अनुसार एक्टिव 01 जुलाई 2015 को।
	(ख) बरसाती नदी, नाला, गदरा के किनारे से	50 मीटर	10 मीटर	400 मीटर से अधिक	है।	
3.	धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	100 मीटर	458 मीटर	है।	
4.	स्कूल शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	100 मीटर	345 मीटर	है।	
5.	आबादी से दूरी	300 मीटर	100 मीटर	325 मीटर	है।	निर्धारण 126 मीटर से अधिक दूरी लानी का लक्ष्य था किन्तु भवन अक्षय मरुम, गामा 12

9. इकाई की राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ (consent to establish and consent to operate) सहमति प्राप्त करने की तिथि एवं वैधता की अवधि -

CTO - 31 मार्च 2020 तक, Date of issue: - 19-03-2020

इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी निर्धारित मानकानुसार (उपखनिज भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 21 मी० ऊंची) निर्मित है या नहीं- मानकों के अनुकूल नहीं हैं। एक मीटर कम पानी है।

11. इकाई के प्रवेश एवं निकासी गेटों पर कंप्यूटराईज धर्मकांटा तथा सी०सी०टी०वी० कैमरा स्थापित/संचालित है या नहीं- हैं।
12. इकाई परिसर के अन्दर पक्के मार्ग निर्मित हैं या नहीं - हैं।
13. प्लान्ट तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed के अन्दर स्थापित किया गया है या नहीं- प्लान्ट कवर्ड हैं; कन्वेयर बेल्ट कवर्ड नहीं हैं; कर्मि प्रगति पर हैं।
14. प्लांट स्वामी द्वारा केशर परिसर के सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल हटाने तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की गयी है या नहीं- हैं।
15. प्लांट के चारों तरफ धूल कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टीका विकसित की गयी है या नहीं- नहीं हैं।
16. प्लांट स्वामी द्वारा सम्पूर्ण कशिग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler/फव्वारे की स्थापना की गयी है या नहीं- हैं।
17. मौके पर ध्वनि प्रदूषण की सांद्रता (ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो) (value of Noise Pollution at the site) - मौके पर प्लान्ट स्थापित होता नहीं जाता, मापन नहीं हो सका।
18. वायु गुणवत्ता अनुभवण आख्या (Air quality monitoring report)- प्लान्टी भाग की विवेक जानकारी के अनुसार, विवेक विवेक।

Shree  
A

2.11

...

...

19. प्लांट परिसर के अन्दर अवैध खनन से निर्मित गड्ढे विद्यमान तो नहीं है यदि है तो उसकी पैमाईश एवं मात्रा - **नहीं है**



20. प्लांट परिसर से लगे आस-पास के क्षेत्रों में प्लांट स्वामी द्वारा अवैध खनन से निर्मित गड्ढे स्थित हैं या नहीं। यदि हा तो उसकी पैमाईश एवं मात्रा - **नहीं है**



21. इकाई के द्वारा दिनांक 01/04/2019 से 31/01/2020 तक प्रदेश के अन्दर एवं प्रदेश से बाहर निर्यात किये गए उत्पाद की मात्रा - **खुदरा लो अर - 27038.30 टन, जेन से बाल यू-ए-ए**

*Signature*

*Signature*


*Signature*

*Signature*


*Signature*


*Signature*


- 22 इकाई के द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क अद्यतन जमा किये जाने की स्थिति (स्टोन केशर संचालकों को क्रस्टल मैटेरियल की मात्रा पर रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्कीनिंग प्लान्ट संचालकों को छाने गये उपखनिज की मात्रा पर रू0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क) :- जम्मा है।


 दीपक सिंह


स्टोन केशर स्वामी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर


  
(धर्मनन्द कुमार)  
टंकक,  
सदस्य

  
04/03/2020  
(एम0सी0 जोशी)  
अधिकारी सर्वेक्षक  
सदस्य


  
(आर0के0 चतुर्वेदी)  
क्षेत्रीय ~~पर्यावरण~~ अधिकारी (तकनीकी),  
UKPCB सदस्य

  
04/03/20  
(प्रदीप कुमार)  
प्राविधिक सहायक भूविज्ञान,  
सदस्य

  
04/03/20  
(जी0डी0 प्रसाद)  
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक  
सदस्य सचिव

  
(उपजिलाधिकारी)  
अध्यापक, K.K.  
अध्यक्ष

# PROCESS FLOW DIAGRAM MAA GIRIJA STONE CRUSHER



उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास विभाग  
संख्या 1026/VII-1/2015/68-रिट/2008  
देहरादून दिनांक: 31 जुलाई, 2015  
कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट एवं पल्परराईजर्स को अनुज्ञा दिए जाने में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोकथाम, प्रदेश के जनसाधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिए जाने एवं ऐसी इकाईयों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या 2912/VII-II-11/68-रिट/2008 दिनांक 18 नवम्बर 2011 द्वारा उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट एवं पल्परराईजर अनुज्ञा नीति-2011 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 2920/VII-II-11/68-रिट/2008 दिनांक 18 नवम्बर 2011 द्वारा उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट एवं पल्परराईजर अनुज्ञा नीति-2011, प्रख्यापित की गयी है।

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 27/2012 मिलेजर्स ऑफ कमोला व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य, जनहित याचिका संख्या 458/2008 केवलानन्द कबडवाल बनाम उत्तराखण्ड एवं जनहित याचिका संख्या 141/2013 कंवल किशोर शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, जनहित याचिका संख्या 97/2013 निवासी न्यू फ्रेंड्स कालोनी, जोशी विहार, मौजाजाली, नार्थ हल्द्वानी-नैनीताल बनाम राज्य व अन्य आदि में पारित विभिन्न आदेशों में मा० न्यायालय द्वारा स्टोन केशर नीति को पुनरीक्षण किये जाने की राज्य सरकार से अपेक्षा की गयी है।

अतः अब उक्त क्रम में राज्यपाल सृजित विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट एवं पल्परराईजर अनुज्ञा नीति-2011, उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट एवं पल्परराईजर अनुज्ञा नीति-2011 अधिक्रमित करते हुए निम्नवत स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, पल्परराईजर, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति-2015 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

**स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, पल्परराईजर, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति-2015**

- |                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, पल्परराईजर, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति-2015 है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।  |
| परिभाषाएँ                 | 2. | जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो—<br>(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है,<br>(ख) "कलेक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है,<br>(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है। |

4.

- (घ) 'आयुक्त' से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारदारक अधिकारी अभिप्रेत है।
- (ङ) 'स्थानीय अधिकारी' से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बॉर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है।
- (च) 'व्यक्ति' के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है।
- (छ) पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -क):- के अंतर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ सम्मिलित है।
- (ज) मध्य पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -ख):- के अंतर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोडा (सम्पूर्ण भाग) चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालादूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है।
- (झ) मैदानी क्षेत्र (क्षेत्र -ग):- के अंतर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालादूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है।
- (ञ) 'शब्द और पद' जो परिभाषित नहीं है परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

मोबाईल स्टोन केशर 3.

मोबाईल स्टोन केशर बी०आर०ओ०, आई०टी०वी०पी० एवं अन्य सरकारी विभागों के नाम से पर्वतीय एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष कार्य हेतु अधिकतम 12 माह की अवधि तक स्वीकृत किये जायेंगे। मोबाईल स्टोन केशर उस स्थान पर स्थापित किये जायेंगे, जहां 20 कि०मी० तक कोई अन्य स्टोन केशर स्थापित/संचालित न हो। उकेदार के नाम से अब कोई आवंटन नहीं करते हुए मोबाईल स्टोन केशर केवल सरकारी संस्था द्वारा आवंटन करने पर उनके नाम से जारी किये जायेंगे तथा

4.

मोबाईल स्टोन क्रेशर से निकलने वाले उत्पाद का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

स्थल चयन हेतु 4. स्थल समिति

स्थल चयन एवं स्थल की जांच हेतु निम्नवत् एक समिति का गठन किया जायेगा :-

- प्रस्तावित कार्यरत संयंत्र क्षेत्र का उप जिलाधिकारी -अध्यक्ष।
- संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी या उसका प्रतिनिधि -सदस्य।
- उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि -सदस्य।
- भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय का प्रतिनिधि -सदस्य।
- संबंधित खान अधिकारी/खान निरीक्षक -सदस्य सचिव।

स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट एवं पत्थराईजर हेतु मानक

स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट एवं पत्थराईजर हेतु निम्नलिखित मानक होंगे-

क्र०सं०	स्थान	पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र - क) हेतु संयंत्र से न्यूनतम दूरी मीटर में		मध्य पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र - ख) हेतु संयंत्र से न्यूनतम दूरी मीटर में		मैदानी क्षेत्र (क्षेत्र - ग) हेतु संयंत्र से न्यूनतम दूरी मीटर में	
		स्टोन क्रेशर/ स्कीनिंग प्लान्ट	पत्थराईजर	स्टोन क्रेशर/ स्कीनिंग प्लान्ट	पत्थराईजर	स्टोन क्रेशर/ स्कीनिंग प्लान्ट	पत्थराईजर
1	सरकारी वन	10 मीटर	-	50 मीटर	50 मीटर	100 मीटर	100 मीटर
2	(क) नदी (Perennial River) के किनारे से	-	-	50 मीटर	50 मीटर	300 मीटर	100 मीटर
	(ख) वर्षाती नदी, नाला, गधेरा के किनारे से	-	-	25 मीटर	25 मीटर	50 मीटर	100 मीटर
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	25 मीटर	25 मीटर	50 मीटर	50 मीटर	300 मीटर	100 मीटर
4	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम	50 मीटर	50 मीटर	100 मीटर	100 मीटर	300 मीटर	100 मीटर

L.

5.	आवासीय भवन एक परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान	50 मीटर	50 मीटर	100 मीटर	100 मीटर	300 मीटर	100 मीटर
----	---	---------	---------	----------	----------	----------	----------

टिप्पणी:-

(क) मोबाइल स्टोन केशर की स्थापना के सम्बन्ध में दूरी हेतु पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -क) के मानक लागू होंगे।

(ख) गठित समिति किसी भी दशा में शिथिलीकरण की संस्तुति नहीं करेगी।

दून वैली क्षेत्र में स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना

जिला देहरादून के दून वैली क्षेत्र में स्टोन केशर प्रदूषण युक्त होने के कारण स्थापित नहीं किये जायेंगे परन्तु स्कीनिंग प्लान्ट जिनके द्वारा आर०बी०एम० (बालू बजरी एवं बोल्टर मिश्रित रूप में) की धुलाई कर बालू बजरी एवं बोल्टर को स्कीनिंग कर पृथक-पृथक विन्या जाता है, की अनुज्ञा इस नीति की व्यवस्था के अनुसार प्रदान की जा सकेंगी।

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर इकाई हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल एवं क्षमता

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर इकाई हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल एवं क्षमता निम्नवत् होगी-

क्र०सं०	संयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -क) हेतु संयंत्र से न्यूनतम क्षेत्रफल हैक्टेयर में	मध्य पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -ख) हेतु संयंत्र से न्यूनतम क्षेत्रफल हैक्टेयर में	मैदानी क्षेत्र (क्षेत्र -ग) हेतु संयंत्र से न्यूनतम क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	2	3	4	5
1.	स्टोन केशर	0.02 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक) प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.02 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	1.00 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक) प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.25 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	2.0 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक) प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/2 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)
2.	स्कीनिंग प्लान्ट	0.01 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	1.00 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	2.0 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)

6.

		प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.01 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.25 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/2 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)
3.	पत्थराईजर	0.01 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	0.5 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	1.00 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)
		प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.01 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.25 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/2 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)

8. स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पत्थराईजर हेतु आवेदन के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाना

स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पत्थराईजर अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 03 दिन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार हो, में स्वयं के व्यय पर विज्ञापित जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आता हो तथा उक्त स्थल पर स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पत्थराईजर स्थापित/संचालन किये जाने से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रस्तुत करेगा। उक्तानुसार प्रकाशन के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो उक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशक को संस्तुति सहित प्रेषित किया जायेगा तदोपरान्त निदेशक द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.

स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर हेतु आवेदन एवं आवेदन शुल्क/नवीनीकरण शुल्क

स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर हेतु आवेदन एवं आवेदन शुल्क/नवीनीकरण शुल्क निम्नवत होगा—

क्र०सं०	संयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र-क) हेतु आवेदन/नवीनीकरण शुल्क	मध्य पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र-ख) हेतु आवेदन/नवीनीकरण शुल्क	मैदानी क्षेत्र (क्षेत्र-ग) हेतु आवेदन/नवीनीकरण शुल्क
1	2	3	4	5
1.	स्टोन केशर	₹ 2.50 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	₹ 5.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	₹ 10.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)
		₹ 50,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
	स्कीनिंग प्लान्ट	₹ 1.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	₹ 2.50 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	₹ 10.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)
		₹ 10,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 50,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
	पल्वराईजर	₹ 2.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	₹ 5.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	₹ 10.00 लाख (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)
		₹ 10,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 50,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)

टिप्पणी—

मोबाईल स्टोन केशर हेतु आवेदन शुल्क ₹ 1,00,000.00 (एक लाख) क्षमता प्रतिदिन 200 टन तथा प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त ₹ 50,000.00 देय होगा।

स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर एवं मोबाईल स्टोन केशर की स्थापना/संचालन हेतु आवेदन शुल्क/नवीनीकरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक 0853-अलीह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करा कर आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर तीन प्रतियों में जिसमें क्षेत्र का राजस्व मानचित्र एवं साईट प्लान जिसमें प्रस्तावित संयंत्र

का धीरा अंकित हो, जिलाधिकारी, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के उप निदेशक खनन कार्यालय में जमा किया जायेगा।

स्टोन केशर स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर एवं मोबाईल स्टोन केशर की स्थापना/संचालन से प्राप्त होने वाले राजस्व प्राप्ति का लेखा-जोखा का विवरण उप निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यालय में रखा जायेगा। उप निदेशक, खनन द्वारा राजस्व प्राप्ति का लेखा-जोखा का त्रैमासिक विवरण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा राजस्व प्राप्ति का वार्षिक लेखा-जोखा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन केशर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन

10. (क) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन केशर में कच्चेमाल/ तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अधीन करना होगा। जिसके अभिलेखों एवं भण्डारणों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा किया जायेगा।

(ख) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट परिसर में न्यूनतम 15 फीट की ऊंचाई के चार दिवारी के अन्दर 13 फीट से अधिक ऊंचाई तक कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण नहीं किया जायेगा, यदि कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी पर रुपये दो लाख तक का अर्धदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(ग) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटो पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0पी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकॉर्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।

(घ) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट एवं मोबाईल स्टोन केशर के स्वामी के द्वारा कय किये गये उपखनिज आर0बी0एम0 एवं कश्ड कर विक्रित किये गये फ्रिट आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी

14.

कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालयों में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट के स्वामी पर प्रतिमाह ₹0 5000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

- (ड.) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्टर या उसके उत्पाद (अर्थात् कच्चा माल/पक्का माल) परिवहन/निकासी करने पर उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) में प्राविधानित बालू या बजरी या बोल्टर की रायल्टी के समतुल्य का 2 प्रतिशत निर्धारित लेखाशीर्षक 0853-अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अपरिहार्य होगा।
- (ट.) पल्वराईजर संचालकों द्वारा सोपस्टोन एवं अन्य खनिज (लाईम स्टोन आदि) या उसके उत्पाद (अर्थात् कच्चा माल/पक्का माल) परिवहन/निकासी करने पर उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में प्राविधानित सोपस्टोन की रायल्टी के समतुल्य का 5 प्रतिशत निर्धारित लेखाशीर्षक 0853-अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अपरिहार्य होगा।

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन केशर के स्वामी के दायित्व 11.

- (1) (क) स्टोन केशर प्लान्ट/स्कीनिंग प्लान्ट सयंत्र (Equipment) परिसर की चारदीवारी (Boundary wall) के अन्दर मध्य में स्थापित होना चाहिए।
- (ख) पल्वराईजर सयंत्र (Equipment) परिसर की चारदीवारी (Boundary wall) के अन्दर बन्द कमरे में स्थापित होना चाहिए।
- (2) स्टोन केशर प्लान्ट/स्कीनिंग प्लान्ट इकाई के वारो तरफ कम से कम 15 फीट ऊँची चार दीवारी का निर्माण इकाई की परिधि में किया जाना होगा। न्यूनतम 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर अधिकतम 13 फीट ऊँचाई तक कच्चे माल या तैयार माल का भण्डारण किया जा सकेगा। यदि इकाई परिसर में 13 फीट से अधिक ऊँचाई के तैयार व कच्चे माल के भण्डारण की आवश्यकता है, तो चार

दीवारी की ऊँचाई उक्त ऊँचाई से 2 फीट प्रति 1 फीट कच्चे व तैयार माल की ऊँचाई के अनुसार बढ़ाई जानी होगी। चार दीवारी की डिजाइन सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जानी होगी। जिससे की चार दीवारी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद के लिए) एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।

- (3) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/ मोबाईल स्टोन केशर से धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractors) या धूल के कणों को हवा में उड़ने से रोकने की विधि का प्रभावी उपयोग उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।
- (4) ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु स्टोन केशिंग संयंत्र को बन्द दो दीवारों वाले चैम्बर में स्थापित किया जाना होगा।
- (5) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
- (6) स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर की सीमा के अंदर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव किये जाने की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि धूल के कण हवा में न उड़ सकें।
- (7) स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर इकाई की चार दीवारी के अंदर कम से कम 07 से 10 मी० चौड़ी तीन कतारों में चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
- (8) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/ मोबाईल स्टोन केशर स्वामी द्वारा धूल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियां एवं उपकरण अपने स्तर के खर्च पर स्थापित करने होंगे। धूल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण विधियों को स्टोन केशर प्लान्ट में अनवरत कार्यरत रखने की जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी।
- (9) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन केशर स्वामी द्वारा कच्चे या तैयार माल भण्डार

L

की सहाज जो वायु प्रदूषण करती है। वायु प्रदूषण को रोके जाने हेतु प्लान्ट स्वामी को व्यवस्था की जानी होगी।

- (10) स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्परराईजर की अनुज्ञा समाप्ता होने की तिथि से 06 माह पूर्व निर्धारित शुल्क सहित नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाना होगा। तदोपरान्त जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

ध्वनि प्रदूषण के मानक

12.

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्परराईजर/मोबाईल स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रख्यापित आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्परराईजर/मोबाईल स्टोन केशर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण

13.

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 अनुपालन हेतु स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्परराईजर/मोबाईल स्टोन केशर में धूल उत्सर्जन (SPM) नियंत्रण एवं वर्मित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं वायु गुणवत्ता, ध्वनि मापन मानकों के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं उपकरणों के रख-रखाव की रिपोर्ट प्रत्येक माह में स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्परराईजर के स्वामियों को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विश्लेषण एवं परीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्परराईजर/मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा की स्वीकृति

14.


(क) उप जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूवैज्ञानिक, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित होने वाले एवं नवीनीकरण होने वाले स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्परराईजर/मोबाईल स्टोन केशर हेतु सदस्य सचिव के माध्यम से समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर घयनित स्थल की रिपोर्ट सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन स्तर से अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

(ख) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्परराईजर/मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा तथा भण्डार

स्थल की स्वीकृति सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा के उपरान्त स्थल पर ऐसी योजना के पूर्ण हो जाने या भण्डार स्थल की दशा में उसका उपयोग प्रारम्भ हो जाने पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा-143 के अधीन सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

- (ग) उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- (घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इण्टरप्राइजेज एक्ट (MSME) के अधीन जिला उद्योग केन्द्र में रिटर्न दाखिल करना होगा।
- (ङ) वर्तमान में चालू स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन केशर भी उक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (च) पूर्व से चल रहे स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट/पल्वराईजर/मोबाईल स्टोन केशर को नये स्थान पर जून, 2016 तक स्थानान्तरित करना होगा। उक्त अवधि के अन्दर यदि वे उक्त इकाईयों को स्थानान्तरित नहीं करते हैं तो उनकी अनुज्ञा का नवीनीकरण अग्रेत्तर नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,



(राकेश शर्मा)  
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग  
संख्या: 1594/VII-1/2015/68-रिट/2008  
देहरादून : दिनांक: 7 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1026/VII-1/2015/68-रिट/2008, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा प्रख्यापित स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति-2015 में जहां-जहां पर पल्वराईजर प्लान्ट इंगित हुआ है, को विलोपित करते हुए उक्त नीति के प्रस्तर-7 स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर इकाई हेतु न्यूनतम क्षेत्र एवं क्षमता में निम्नानुसार संशोधन एवं प्रस्तर-10 (स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन) के बिन्दु संख्या-(ट) को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	वर्तमान प्राविधान			एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान		
	संयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र-क) हेतु संयंत्र से न्यूनतम क्षेत्रफल हेक्टेयर में	मध्य पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र-ख) हेतु संयंत्र से न्यूनतम क्षेत्रफल हेक्टेयर में	संयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र-क) हेतु संयंत्र से न्यूनतम क्षेत्रफल हेक्टेयर में	मध्य पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र-ख) हेतु संयंत्र से न्यूनतम क्षेत्रफल हेक्टेयर में
	2	3	4	2	3	4
1.	स्टोन केशर	0.02 हेक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	1.00 हेक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	स्टोन केशर	0.1000 हेक्टेयर (5 नाली) (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	0.4000 हे० अर्थात् 20 नाली, (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)
		प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.02 हेक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.25 हेक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)		प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.1000 हेक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.1000 हेक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)
	स्कीनिंग प्लान्ट	0.01 हेक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	1.00 हेक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	स्कीनिंग प्लान्ट	0.1000 हेक्टेयर (5 नाली) (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	0.4000 हेक्टेयर (20 नाली) (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)

	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.01 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.25 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)		प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.1000 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.1000 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)
				-विलोपित-	
पत्थराईजर	0.01 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)	0.5 हैक्टेयर (क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक)			
	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.01 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)	प्रत्येक 200 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 0.25 हैक्टेयर अतिरिक्त (200 टन प्रतिदिन से अधिक)			

2- उक्त नीति के प्रस्तर-10 (स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, पत्थराईजर, मोबाईल स्टोन केशर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन) के बिन्दु संख्या-(ट)-

10	(ट) पत्थराईजर संचालकों द्वारा सोपस्टोन एवं अन्य खनिज (लाईम स्टोन आदि) या उसके उत्पाद (अर्थात् कच्चा माल/पक्का माल) परिवहन/निकासी करने पर उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में प्राविधानित सोपस्टोन की रायल्टी के समतुल्य का 5 % निर्धारित लेखाशीर्षक 0853-अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अपरिहार्य होगा।	-शून्य-
----	--	---------

3- स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, पत्थराईजर, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति-2015 में उपरोक्तानुसार किये गये आंशिक संशोधन के उपरान्त नीति के शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे।

(राकेश शर्मा)  
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1594 (1)/VII-1/2015/68-रिट/2008, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त उप निदेशक, खनन/भूविज्ञान, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड सम्बन्धित जनपद।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एस0 भाकुनी)  
उप सचिव।

81730021

Mining


**Directorate of Industries Uttarakhand**  
**Geology and Mining Unit**  
Uttarakhand

Registration No. SC0601011 | License/License Name: AJAY KUMAR GUPTA | License Type: Stone Crusher | District: Nainital

Dashboard
Generate e-Bayana
Submit MRC through Chatbot
Submit MRC Online
Search Form
Receive Mineral With in State
Receive Mineral Outside State
Mineral Sale/Purchase Permission
Online Payment Instructions
Change Password
Log Out

 <b>MRC:</b> 8-00	 <b>Current Capacity for Current Period:</b> 2000.50 Tons	 <b>Capacity in Hand:</b> 4782.33 Tons
 <b>Lease Valid Upto:</b> 15 Dec 2021	 <b>Current Period:</b> 15 Apr 2021 To 15 Dec 2021	 <b>Maximum Storage Capacity:</b> 5000.00 Tons
 <b>Total Form Generated:</b> 2211	 <b>Form Generated Today:</b> 0	 <b>MRC Request Status:</b> J

For Sri Maa Giriya Stone Crusher



This website is designed, developed and hosted by JHC Uttarakhand

Contents of this website is published, managed and maintained by Geology and Mining Unit, Directorate of Industries Uttarakhand.

<https://ipmappdls.gov.in/Licensee/Customize.aspx>

For Sri Maa Giriya Stone Crusher

**SHRI MAA GIRIJA STONE CRUSHER**

TALLA GAON, BETALGHAT, NAINITAL

SALE PURCHASE for the Period of 01.04.2020 to 31.03.2021

FY	MONTH	OPE. STOCK	PURCHASE	TOTAL	SALE	In MT	
						CLO. STOCK	
2020-21	Apr-20	34671.10	0.00	34671.10	0.00	34671.10	
	May-20	34671.10	4948.50	39619.60	3956.51	35663.09	
	Jun-20	35663.09	4855.54	40518.63	4683.90	35834.73	
	Jul-20	35834.73	9000.00	44834.73	5677.10	39157.63	
	Aug-20	39157.63	0.00	39157.63	5974.10	33183.53	
	Sep-20	33183.53	8.10	33191.63	5665.40	27526.23	
	Oct-20	27526.23	3004.00	30530.23	5726.30	24803.93	
	Nov-20	24803.93	4906.39	29710.32	5950.70	23759.62	
	Dec-20	23759.62	0.00	23759.62	5878.60	17881.02	
	Jan-21	17881.02	0.00	17881.02	5980.50	11900.52	
	Feb-21	11900.52	14639.40	26539.92	5843.10	20696.82	
	Mar-21	20696.82	3488.69	24185.51	5691.20	18494.31	
	<b>TOTAL</b>		<b>44850.62</b>		<b>61027.41</b>		


**SHRI MAA GIRIJA STONE CRUSHER**

TALLA GAON, BETALGHAT, NAINITAL


SALE PURCHASE for the Period of 01.04.2021 to 16.08.2021

FY	MONTH	OPE. STOCK	PURCHASE	TOTAL	SALE	In MT	
						CLO. STOCK	
2021-22	Apr-21	18494.31	2530.00	21024.31	5583.70	15440.61	
	May-21	15440.61	29689.60	45130.21	4491.30	40638.91	
	Jun-21	40638.91	21667.12	62306.03	5722.00	56584.03	
	Jul-21	56584.03	0.00	56584.03	5893.40	50690.63	
	Aug-21	50690.63	0.00	50690.63	3308.30	47382.33	16.08.21
	<b>TOTAL</b>		<b>53886.72</b>		<b>24998.70</b>		

For Shri Maa Girija Stone Crusher


 P. P. P.

# LAYOUT PLAN



SRI VIA GIRJA STONE CRUSHER (P) LTD.  
VILL. TALLA GAUNDHANIYAKOTI  
TEH.-BETALGHAT DIST. :-NAINITAL (UK)

# NOIDA TESTING LABORATORIES

(A Government Approved Testing Laboratory)

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environmental, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

## TEST CERTIFICATE

Test Report of	Report Code	Date of Issue
Ambient Air Quality Analysis	AAQ-260721-015	30/07/2021

**Issued To:** Shree Maa Girja Stone Crusher  
**Address:** Khasra No. - 319, 320, 329, 340, Talla Gaon, Betalghat  
 District- Nainital (Uttarakhand)

### Sampling & Analysis Data

Sample Drawn By : Laboratory  
 Date of Sampling : 26/07/2021  
 Sample Description : Ambient Air  
 Sampling Plan & Procedure : SOP-AAQ/08  
 Analysis Duration : 27/07/2021 to 30/07/2021  
 Sampling Location : Main Gate  
 Average Flow Rate of SPM (m<sup>3</sup>/min.) : 1.07  
 Average Flow Rate of Gases (lpm) : 1.0  
 Sampling Instrument Used : RDS (PM<sub>10</sub>) FPS (PM<sub>2.5</sub>) With Gaseous Attachment  
 Weather Condition : Clear

### TEST RESULT

S. No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Limits as per Environment (Protection) Act.
1.	Suspended Particulate Matter (SPM)	IS:5182 Part-IV	382.2	µg/m <sup>3</sup>	500.0

#### Notes:

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
- This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
- This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
- The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

CHECKED BY

Rjt

AUTHORIZED SIGNATORY



For Sri Maa Girja Stone Crusher

Handwritten signature

Laboratory : GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : IP-2, Haridwar, Uttarakhand

Branch Office : Gayatri Nagar, Katgodam, Haridwar, Uttarakhand

E : noida\_laboratories@gmail.com, info@noidalabs.com



# NOIDA TESTING LABORATORIES

(A Government Approved Testing Laboratory)

(As ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

## TEST CERTIFICATE

Test Report of	Report Code	Date of Issue
Ambient Air Quality Analysis	AAQ-260721-016	30/07/2021

Issued To: **Shree Maa Girja Stone Crusher**  
 Address: **Khasra No. - 319, 320, 329, 340, Talla Gaon, Betalghat**  
**District- Nainital (Uttarakhand)**

### Sampling & Analysis Data

Sample Drawn By : Laboratory  
 Date of Sampling : 26/07/2021  
 Sample Description : Ambient Air  
 Sampling Plan & Procedure : SOP-AAQ/08  
 Analysis Duration : 27/07/2021 to 30/07/2021  
 Sampling Location : 10.0 meter away from Jaw Crusher  
 Average Flow Rate of SPM (m<sup>3</sup>/min.) : 1.09  
 Average Flow Rate of Gases (lpm) : 1.0  
 Sampling Instrument Used : RDS (PM<sub>10</sub>) FPS (PM<sub>2.5</sub>) With Gaseous Attachment  
 Weather Condition : Clear

### TEST RESULT

S. No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Limits as per Environment (Protection) Act.
1.	Suspended Particulate Matter (SPM)	IS:5182 Part-IV	385.4	µg/m <sup>3</sup>	500.0

#### Notes:

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
- This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
- This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
- The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

CHECKED BY

*Rajit*

AUTHORIZED SIGNATORY



For Sri Maa Girija Stone Crusher

*[Signature]*

Laboratory : GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : IP-2, Haridwar, Uttarakhand

Branch Office : Gayatri Nagar, Kalgodam, Haridwar, Uttarakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com, M. : 9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369



# NOIDA TESTING LABORATORIES

(A Government Approved Testing Laboratory)

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

## TEST CERTIFICATE

Test Report of Ambient Noise	Report Code AN-270721-017	Date of Issue 30/07/2021
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Issued To: **Shree Maa Girja Stone Crusher**  
 Address: **Khasra No. - 319, 320, 329, 340, Talla Gaon, Betalghat**  
**District- Nainital (Uttarakhand)**

### SAMPLING & ANALYSIS DATA

Sample Drawn On : 27/07/2021  
 Sample Drawn By : Laboratory  
 Sample Location : **Main Gate**  
 Sample Received On : 27/07/2021  
 Sample description : Ambient Noise  
 Sampling Time : 24hrs

### TEST RESULT

S/ No	Test Parameters	Results	Units	Requirement (as per CPCB Guidelines Limits in dB(A) Leq		
				Category of Area/ Zone	Day Time	Night Time
1	EQUIVALENT NOISE LEVEL (6.0 AM TO 10.0 PM)	62.8	dB(A)	Industrial Area	75	70
				Commercial Area	65	55
2	EQUIVALENT NOISE LEVEL (10.0 PM TO 6.0 AM)	53.0	dB(A)	Residential Area	55	45
				Silence Zone	50	40

#### Notes:

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
- This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
- This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
- The test samples will be disposed of after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

CHECKED BY

*Rit*

AUTHORIZED SIGNATORY



For Sri Maa Girja Stone Crusher

Laboratory : GT-20, Sector-117, Noida-Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : IP-2, Haridwar, Uttarakhand

Branch Office : Gayatri Nagar, Katgodam, Haldwani, Uttarakhand

E : [noida\\_laboratory@gmail.com](mailto:noida_laboratory@gmail.com), [info@noidalabs.com](mailto:info@noidalabs.com) W : [www.noidalabs.com](http://www.noidalabs.com)

## संयुक्त निरीक्षण आख्या

मध्य पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन कशर/स्कीनिंग प्लान्ट, प्लवराईजर, मोबाइल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति 2015 के अनुसार मां गिरीजा स्टोन कशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह0 बेतालघाट, जिला नैनीताल में 200 टन प्रतिदिन क्षमता के स्टोन कशर स्थापित करने हेतु आवेदित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मां गिरीजा स्टोन कशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह0 बेतालघाट, जिला नैनीताल में 200 टन प्रतिदिन क्षमता के स्टोन कशर स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 24.10.2016 को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट, प्लवराईजर, मोबाइल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति 2015 के अनुसार मध्य पर्वतीय क्षेत्र हेतु आवेदन शुल्क रु. 5,00,000.00 घालान सं0 5811/30 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराने के उपरान्त, प्रस्तावित स्टोन केशर प्लान्ट स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 27.09.2016 को उपजिलाधिकारी, कोश्याकुटीली की अध्यक्षता में, स्टोन कशर प्लान्ट के स्थल हेतु गठित घयन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया।

मां गिरीजा स्टोन कशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह0 बेतालघाट, जिला नैनीताल के खसरा सं0 319 रकवा 0.129 है0, 320 रकवा 0.165 है0, 329 रकवा 0.160 है0, 340 रकवा 0.036 है0, कुल रकवा 0.490 है0 भूमि पर स्टोन कशर स्थापित करने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूमि, श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह आदि, श्री रवीन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व0 श्री कुंवर सिंह आदि एवं श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह आदि के नाम वर्ग 1 क की श्रेणी में दर्ज अभिलेख है। भूस्वामियों द्वारा उक्त भूमि आवेदक मां गिरीजा स्टोन कशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता को कशर स्थापित करने हेतु 30 वर्ष हेतु किराये पर दी गई है। नोटराइज्ड सहमति पत्र/शपथ पत्र संलग्न है। प्रस्तावित स्थल के उत्तर में रतौड़ा-बेतालघाट मार्ग, दक्षिण में गांव वालों की नाप भूमि, पूरव में गांव वालों की नाप भूमि तथा पश्चिम में रतौड़ा-बेतालघाट मार्ग तदपश्चात गांव की नाप भूमि स्थित है।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र, ट्रेजरी घालान, खाता खतौनी, पार्टनरशिप डीड, समाचार पत्र में निकाली गई विज्ञप्ति, साइट प्लान, खसरा मानचित्र का ब्लू प्रिन्ट, भूस्वामियों की सहमति आदि अभिलेख संलग्न किये गये हैं। आवेदित मां गिरीजा स्टोन कशर के निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता के पक्ष में ग्राम कर्षी, तह0 कोश्याकुटीली, जिला नैनीताल तथा पार्टनर श्री पुष्कर मेहरा के पक्ष में ग्राम मल्ला कर्षी, तह0 कोश्याकुटीली, जिला नैनीताल में रेंता, बजरी बोल्टर के खनन पट्टे स्वीकृत हैं। उक्त स्टोन कशर हेतु इनके द्वारा अपने खनन पट्टों से कच्चा माल/उपखनिज कय किया जायेगा।


वन विभाग के अनुसार स्टोन कशर की स्थापना हेतु प्रस्तावित संयंत्र/मध्य बिन्दु से सरकारी वन 50 मीटर से अधिक तथा नदी के किनारे से 50 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

राजस्व विभाग के अनुसार उक्त स्थल प्रस्तावित संयंत्र से नदी से 50 मीटर से अधिक, बरसाती नदी, नाला, गधेरा के किनारे से 25 मीटर से अधिक, धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि) से 50 मीटर से अधिक, स्कूल, शिक्षण संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम से 100 मीटर तथा आवासीय भवन (एक परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान) से 100 मीटर अधिक की दूरी पर स्थित है। आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र उत्तर उजाला में उक्त स्थान पर स्टोन कशर स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी के निरीक्षण दिनांक 04.11.2016 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुपालन हेतु स्टोन कशर में धूल उत्सर्जन नियंत्रण एवं वर्णित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं वायु गुणवत्ता, ध्वनि मापन मानकों के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं उपकरणों के रख-रखाव की रिपोर्ट प्रत्येक माह में स्टोन कशर के स्वामियों को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विश्लेषण एवं परीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1. स्टोन कशर स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।
2. स्टोन कशर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्राविधानों जैसे, विन्ड ब्रेकिंग वॉल, हरित पट्टिका का विकास/संयंत्रों से उत्पन्न धूल कणों को रोकने हेतु covered एवं sprinkler किया जाना, मेटलिक रोड का निर्माण तथा प्रत्येक दिन सफाई एवं छिडकाव आदि करना सुनिश्चित करेंगे।

—2/-



3. स्टोन क्रशर (उद्योग) द्वारा शासन से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओओसी) तथा संचालन हेतु जल वायु सहमति (सीओपी) प्राप्त करना आवश्यक होगा।

खनन विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के अनुसार आवेदक को स्टोन क्रशर स्थापित किये जाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त (अर्थात् खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2008 (गणसंशोधन 2015) एवं उत्तराखण्ड के मध्य पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रशर/स्कीनिंग प्लान्ट प्लवराइजर, मोबाइल स्टोन क्रशर अनुज्ञा नीति 2015 के अनुसार उपखनिज भण्डारण हेतु अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भण्डारण की अनुमति मिलने के उपरान्त भण्डारित उपखनिज का सही लेखा-जोखा प्रपत्र के अनुसार भण्डारण स्थल पर रखा जाना आवश्यक होगा जिस जांच/अधिक निरीक्षण के समय सम्बन्धित स्थल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। भण्डारण किये गये उपखनिज के ढग-ढिङग के सम्बन्ध में मासिक सूचना प्रपत्र एवं के माध्यम से प्रतिमाह भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, नैनीताल एवं जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। स्टोन क्रशर रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट के अनुसार स्थापित होना अनिवार्य है। स्टोन क्रशर प्लान्ट संघट्ट परिसर की चारदीवारी के अन्दर मध्य में स्थापित करना होगा। स्टोन क्रशर/स्कीनिंग प्लान्ट के स्वामी द्वारा प्लान्ट के प्रवेश एवं निकासी गेटों पर कम्प्यूराइज्ड धर्मकांटा व सीओसीटीवी) कैमरा स्वयं के खर्च पर स्थापित करना तथा रिकार्डिंग की सीटी) प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म हल्द्वानी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

सहायक भूवैज्ञानिक के अनुसार आवेदक फर्म श्री मा गिरीजा स्टोन क्रशर द्वारा ग्राम तल्लागाव तहसील बेतालघाट जनपद नैनीताल में स्टोन क्रशर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल खैरना से बेतालघाट को जाने वाले मोटर मार्ग पर, खैरना से लगभग 12 किमी) की दूरी पर ग्राम तल्लागाव में मोटर मार्ग के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित है। स्थल वर्तमान में एक कृषि भूमि है। निरीक्षण के समय प्रस्तावित स्थल एक बजर भूभाग है तथा स्थल पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। स्थल पर वर्तमान में स्वस्थानिक प्रजाति की झाड़ियाँ आदि विद्यमान हैं। प्रस्तावित स्थल एक अनियमित आकार का भूभाग है जो सीडीनुमा खेतों के मूल स्वरूप से निर्मित है। स्थल का उत्तर-पूर्वी भाग, दक्षिण-पश्चिमी भाग में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई प्रदर्शित करता है। प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पूर्व की ओर सीडीनुमा कृषि क्षेत्र स्थित है। स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थल से अधिक ऊंचाई वाला खुला पहाड़ी ढालदार भूभाग स्थित है जिसमें स्वस्थानिक प्रजाति के वृक्ष तथा झाड़ियाँ आदि स्थित हैं। स्थल के उत्तर-पश्चिम की ओर खुला पहाड़ी ढालदार भूभाग स्थित है। स्थल के उत्तर-पूर्व की ओर सम्पर्क मार्ग तथा उसके बाद कृषि भूमि स्थित है। स्थल के निकट स्थित सम्पर्क मार्ग का समरेखण  $120^\circ - 300^\circ$  है। स्थल के उत्तर-पूर्व दिशा की ओर, स्थल से कम ऊंचाई वाले भूभाग में स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर कोसी नदी स्थित है जहाँ नदी का बहाव दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर है। वर्तमान में स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में कोई आवासीय क्षेत्र दृष्टिगोचर नहीं होता है। आवेदक द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल 0.490 हेक्टेयर है। स्थल परिसर की चारदीवारी के अन्दर मध्य में ही सयन्त (डैक) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूखण्ड की परिधि पर स्थित बिन्दु निम्न अक्षांस व देशान्तर पर अवस्थित है -

बिन्दु 01 उत्तर  $29^\circ 33' 06.5''$  अक्षांस व पूर्व  $79^\circ 23' 58.5''$  देशान्तर पर,


बिन्दु 02 उत्तर  $29^\circ 33' 07.3''$  अक्षांस व पूर्व  $79^\circ 23' 55.9''$  देशान्तर पर,

बिन्दु 03 उत्तर  $29^\circ 33' 08.8''$  अक्षांस व पूर्व  $79^\circ 23' 53.9''$  देशान्तर पर,

बिन्दु 04 उत्तर  $29^\circ 33' 09.8''$  अक्षांस व पूर्व  $79^\circ 23' 51.5''$  देशान्तर पर,

बिन्दु 05 उत्तर  $29^\circ 33' 08.9''$  अक्षांस व पूर्व  $79^\circ 23' 52.4''$  देशान्तर पर,

बिन्दु 06 उत्तर  $29^\circ 33' 08.3''$  अक्षांस व पूर्व  $79^\circ 23' 53.4''$  देशान्तर पर,



बिन्दू 07: उत्तर 29° 33' (16.7) अक्षांश व पूर्व 79° 21' 55.6" देशान्तर पर,

बिन्दू 08: उत्तर 29° 33' (16.4) अक्षांश व पूर्व 79° 21' 58.0" देशान्तर पर,

बिन्दू 09: उत्तर 29° 33' (16.1) अक्षांश व पूर्व 79° 21' 55.8" देशान्तर पर,

बिन्दू 10: उत्तर 29° 33' (15.3) अक्षांश व पूर्व 79° 21' 59.1" देशान्तर पर,

प्रस्तावित स्थल भारतीय सर्वेक्षण विभाग की गोप्य ग्रीड सं. 53 O/6 के अन्तर्गत आता है। स्थल का मध्य भाग समुद्र तल से लगभग 845 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर, स्थल से अधिक ऊंचाई वाले खुले ढालदार भूभाग स्थित है जिसमें वर्तमान में गवस्थानिक प्रजाति के वृक्ष तथा झाड़ियाँ विद्यमान हैं। प्रस्तावित स्थल एक पहाड़ी ढालदार भूभाग के मध्य स्थित है जिनमें पूर्व में ही कृषि कार्य हेतु छोटे छोटे स्तरों में विकसित किया गया है। स्थल पर स्वस्थानिक बदलने दृष्टिगोचर नहीं होती है। स्थल की रातह पर मोटे कणों वाली भूरे रंग की मृदा का मोटा आवरण है। स्थल की स्थानांतरीय का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि स्थल को पूर्व में कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा था परन्तु वर्तमान में कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से यह सम्पूर्ण क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला के विकसित मोड़ों के मध्य स्थित है। स्थल रामगढ़ समूह की नथुवाखान बेटालघाट इकाई तथा जौनसार समूह की नागघाट बरीनाग कोरमेहन में जऊशन के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। स्थल पर एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित खुले भूभाग का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि स्थल पर ऊपर की ओर स्थित भाग स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित, स्थल से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढालदार भूभाग के अपरदन से कालान्तर में टूटकर आये अवसादों के स्थल पर निक्षेपित हुए भाग में स्थित है जो वर्तमान में स्थिर हो गया है। प्रस्तावित स्थल के उत्तर-पूर्व की ओर कोसी नदी स्थित है जिसका स्थल के निकट समतल तथा बहाव दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर है। स्थल पर सामान्य ढलाने 15°-20° हैं जिनकी दिशा उत्तर 30° की ओर है। स्थल पर स्थित ढलानों को पूर्व में ही कृषि कार्य हेतु स्तरों में विकसित किया गया है। स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थल से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढालदार भूभाग स्थित है जिसमें सुरक्षात्मक उपाय किये जाने आवश्यक प्रतीत होते हैं। स्थल पर स्टोन क्रशर की स्थापना किये जाने हेतु स्थल को विकसित कर समतल किये जाने की आवश्यकता है। निर्माण के समय स्थल पर भूधंसाव के कोई चिह्न नहीं पाये गये। स्थल वर्तमान में स्थिर (प्राकृतिक आपदा का खतरे, प्रतीत होता है। यदि शासन द्वारा प्रस्तावित स्थल पर स्टोन क्रशर लगाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तो स्थल विकास एवं स्टोन क्रशर की स्थापना हेतु निर्माण कार्य करते समय आवेदक द्वारा निम्न प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक होगा-

1. प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित, स्थल से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग में सुरक्षात्मक कार्य किये जाने आवश्यक प्रतीत होगी।
2. स्थल के निकट स्थित समस्त सार्वजनिक सड़कें सड़क से नियमानुसार पर्याप्त दूरी पर ही निर्माण कार्य किया जाना होगा तथा स्थल के चारों ओर नियमानुसार सार्वजनिक का निर्माण किया जाना होगा।
3. वर्तमान स्थल परिसर की सीमा के अन्तर्ग मध्य बिन्दू का निर्धारण नियमानुसार किया जाना होगा तथा स्थल परिसर की सार्वजनिक के अन्तर्ग मध्य से ही संग्रह (बैंक) स्थापित किया जाना होगा।
4. स्थल पर निर्माण कार्य हुए प्रकार से किया जाना होगा कि स्थल के निकटवर्ती भूभाग में स्थित कृषि भूमि को कोई क्षति नहीं पहुँचाने पाये।
5. स्थल परिसर में प्रस्तावित कार्यालय तथा बांध निर्माण करते समय नींव को यथोचित गहराई तक ले जाया जाना तथा मसल का निर्माण मूलभूत की खनिज पत्थर परिभाषों के कम्पनो को दृष्टिगत रखते हुए भूकम्परोधी तकनीक को अपनाने हुए किया जाना आवश्यक होगा।

—4/—

6. स्थल पर निर्माण कार्य, स्थल की भारयही क्षमता के अनुरूप ही किया जाना होगा।
7. स्थल पर प्रयोग किये जाने वाले जल तथा वर्षाजल की निकासी हेतु सक्षम जलप्रवाह तन्त्र विकसित किया जाना भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से आवश्यक होगा।
8. प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य करने के उपरान्त तथा इकाई में उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, स्थल का पुनः निरीक्षण कराया जाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थल के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया गया है।
9. उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश सं० 1026/VII-1/2015/68-रिट / 2015, देहरादून दिनांक 31 जुलाई, 2015 में दिये गये नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में ही स्थल पर स्टोन क्रशर लगाये जाने हेतु स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त सुझावों के पूर्णतया अनुपालन की दशा में ही उपरोक्त स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से स्टोन क्रशर के निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि आवेदक फर्म द्वारा उपरोक्त सुझावों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह अन्यायित प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत परिस्थितियों के लिये आवेदक फर्म स्वयं ही उत्तरदायी होगी।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यों हेतु सादर प्रेषित।

(क्षेत्रीय अधिकारी)  
पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
हल्द्वानी

(राजस्व उपनिरीक्षक)  
सहस्रील बेतालघाट  
राजस्व एवं निरीक्षण  
राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील

(राजस्व निरीक्षक)  
सहस्रील बेतालघाट

(सर्वेक्षक)  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई  
हल्द्वानी


(सहायक भूवेदनात्मक)  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई  
हल्द्वानी

(प्रतिनिधि, भूगर्भीय दूनाधिकारी)  
मैनीताल, चनु प्रभाग  
मैनीताल, चनु प्रभाग

(उपनिदेशक खनन)  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई  
हल्द्वानी

(उपनिदेशक)  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई  
हल्द्वानी

## PROCESS FLOW DIAGRAM BAIJNATH STONE INDUSTRIES PVT. LTD.



उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-1  
संख्या: 1758/VII-1/16/68-रिट/08  
देहरादून:दिनांक: 19 नवम्बर, 2016

कार्यालय झाप

शासन के कार्यालय झाप संख्या-1026/VII-1/2015/68-रिट/2008 दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति, 2015 प्रख्यापित किया गया था। वर्तमान में राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्टों को अनुज्ञा दिये जाने में पर्यावरण संरक्षण, अकैड खनन की रोक-थाम, प्रदेश के जनसाधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिये जाने एवं ऐसी इकाइयों को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल खनिज विकास एवं राजस्व हित में स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति, 2015 अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016

- |                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 है।  |
|                           |    | (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।   |
| परिभाषाएँ                 | 2. | जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो—  |
|                           |    | (क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;  |
|                           |    | (ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;   |
|                           |    | (ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;  |
|                           |    | (घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;   |
|                           |    | (ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है;   |
|                           |    | (च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है;   |
|                           |    | (छ) "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालादूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है; |
|                           |    | (ज) "मैदानी क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालादूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;  |

- (झ) "खनन सत्र" का तात्पर्य 01 अक्टूबर से आगामी 30 सितम्बर तक है;
- (ञ) "आबादी" का तात्पर्य स्टोन केशर हेतु आवेदित दिनांक को अवस्थिति राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी क्षेत्र से है;
- (ट) "on site स्थापना" का तात्पर्य नदी/गधेरे में स्वीकृत घुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन-केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थापना से है;
- (ठ) "Perennial river" का तात्पर्य ऐसे नदी से है जिसमें जल का प्रवाह निरन्तर वर्षभर होता रहता है;
- (ड) "Non-Perennial river" का तात्पर्य ऐसे नदी से है जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है;
- (ढ) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधन सहित से है;
- (ण) "शब्द और पद" जो परिभाषित नहीं है, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा जारी किया जायेगा;

#### अध्याय-1- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट

- |  |   |
|--|---|
| <p>स्टोन केशर प्लांट/स्कीनिंग प्लांट स्थल चयन हेतु समिति</p> | <p>1. स्थल चयन एवं स्थल की जांच हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी -अध्यक्ष।</li> <li>2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी या उसका प्रतिनिधि - सदस्य।</li> <li>3. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य।</li> <li>4. भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स - सदस्य।</li> <li>5. सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी- सदस्य सचिव।</li> </ol>  |
| <p>स्टोन केशर प्लांट/स्कीनिंग प्लांट हेतु आवेदन</p>          | <p>2. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क सहित पांच प्रतियों में निम्न अभिलेखों सहित संबंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1-आवेदन पत्र।</li> <li>2-आवेदन शुल्क संयंत्र की क्षमता के अनुसार।</li> <li>3-आवेदित स्थल का खसरा मानचित्र।</li> <li>4-साईट प्लान।</li> <li>5-आवेदित स्थल का खसरा विवरण।</li> <li>6-आवेदक भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधरों की अनापत्ति।</li> <li>7-आवेदन पत्र निर्धारित चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।</li> <li>8-आवेदक यदि फर्म या कम्पनी हो तो फर्म का रजिस्ट्रेशन एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग की प्रति।</li> <li>9-स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।</li> <li>10-आवेदक/भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र।</li> <li>11-आवेदक/भागीदारों का खनन अदेयता प्रमाण पत्र।</li> <li>12-टिन नम्बर।</li> <li>13-आयकर अदेयता प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।</li> <li>14-स्कीनिंग प्लांट से निकलने वाले अनुपयुक्त उपखनिज का निस्तारण का प्रकार एवं विधि का विवरण का शपथ पत्र।</li> <li>15-स्टोन केशर स्वामी/स्कीनिंग प्लांट स्वामी को प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल (आर0बी0एम0) आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को सूचित किया जाना होगा।</li> </ol> |

इस हेतु संचालक एवं खनन पट्टाधारक के मध्य हुए उपखनिज आपूर्ति के अनुबन्ध की सत्यप्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

16- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी के द्वारा प्लान्ट में कच्चे माल एवं तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अधीन भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त करेगा। भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति के उपरान्त केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा की स्वीकृति के समय शासन द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि हेतु किया जायेगा।

प्लान्ट स्वामी के द्वारा कय एवं विक्रय किये गये खनिज का लेखा-जोखा पत्रिका "क" में करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिजकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

ई-रवन्ना प्रणाली का प्रयोग होने की दशा में ई-रवन्ना की विवरणी को मान लिया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में उपखनिज कच्चा माल व पक्का माल के भण्डारण व सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी (निदेशक, भूतत्व एवं खनिजकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) द्वारा किया जायेगा।

17-स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू, बजरी, शोल्डर (अर्थात् कच्चा माल) कय किये जाने वाले स्रोत एवं पूर्व से भण्डारित उपखनिज की मात्रा की घोषणा शपथ-पत्र पर ई-रवन्ना हेतु रजिस्ट्रेशन से पूर्व भूतत्व खनिजकर्म के जनपद स्तरीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

कच्चे माल का स्रोत प्लांट संचालक द्वारा उपलब्ध न कराये जाने की दशा में संबंधित जनपद के खान अधिकारी के द्वारा ई-प्रपत्र 'जे' की निकासी रोकते हुए पूर्व में कय किये गये कच्चे माल के स्रोत की जांच कर अन्तिम निर्णय के उपरान्त ई-प्रपत्र 'जे' की अनुमति प्रदान की जायेगी।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन हेतु निम्नलिखित दूरी के मानक होंगे:-

क्र०सं०	स्थान	मैदानी क्षेत्र हेतु संयंत्र से न्यूनतम दूरी (मीटर में)	
		स्टोन क्रेशर	स्क्रीनिंग प्लान्ट
1			
1.	सरकारी वन	100 मीटर	50 मीटर
	(क) नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मीटर	10 मीटर
2.	(ख) (Non-Perennial river) वर्षाती नदी, नाला, गधेरा के किनारे से	50 मीटर	10 मीटर
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, घर्ष आदि)	300 मीटर	100 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	100 मीटर
5.	आबादी से दूरी	300 मीटर	100 मीटर

टिप्पणी - (1) पर्वतीय क्षेत्र के स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों हेतु दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत होंगे।

(2) वचन समिति किसी भी दशा में किसी भी मानक में शिथिलीकरण की संस्तुति नहीं करेगी।

(3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, घर्ष आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की

गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यय नहीं माना जायेगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
हेतु न्यूनतम  
क्षेत्रफल

3. इस नीति के प्रख्यापित होने के पश्चात आवेदित/स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल का निर्धारण निम्नवत् मानकों के अनुसार किया जाना होगा :-
- (क) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता - टन प्रति घंटा
- (ख) प्रतिदिन स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालन की अवधि - औसतन 10 घंटा प्रतिदिन (यदि प्लान्ट स्वामी 10 घंटे से अधिक संचालन करना चाहता है, तो वह इस आशय का शपथ पत्र सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।)
- (ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन हेतु कच्चा माल आर0बी0एम0 की आवश्यक मात्रा प्रतिदिन =  $k \times ख$  टन प्रतिदिन
- (घ) वर्षा ऋतु आदि हेतु खनन घुगान की एक वर्ष में बंदी की अवधि = 120 दिन।
- (ङ) बन्दी अवधि हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की भण्डारण क्षमता =  $120 \times क \times ख = क्षमता$  टन में।
- (च) कच्चा माल (आर0बी0एम0) एवं पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊंचाई तक।
- (छ) कच्चा माल (आर0बी0एम0) का भण्डारण का क्षेत्रफल

$$= क \times ख \times 120 \text{ दिन}$$

$$2.2 \times 5$$

(1 घनमीटर = 2.2 टन)

(ज) तैयार माल के भण्डारण, हरित पट्टिका, प्लान्ट की स्थापना एवं वाहनों के आवाजाही एवं रखरखाव इत्यादि हेतु आर0बी0एम0 एवं भण्डारण क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्रफल।

(झ) कुल क्षेत्रफल = छ+ज वर्गमीटर

यदि क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा औसतन संचालन अवधि से अधिक अवधि बढ़ाये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उपरोक्तानुसार भण्डार की क्षमता एवं क्षेत्रफल को निर्धारित शुल्क अतिरिक्त रूप से जमा कर ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक द्वारा संशोधित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ट) प्लान्ट स्वामी तैयार माल का भण्डारण क्षमता जितना चाहे उतना कर सकता है। इसके लिए उसे तैयार माल के भण्डारण हेतु क्षेत्रफल को विस्तारित करते हुए नियमानुसार भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत कराना होगा।

नीति के प्रख्यापन से पूर्व स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वीकृत भण्डारण क्षेत्र की गणना भी इसी प्रकार की जायेगी, परन्तु यदि आगणित क्षेत्र वर्तमान भण्डारण क्षेत्र से अधिक होगा तो क्षेत्रफल के आधार पर क्षमता का निर्धारण किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
हेतु आवेदन क  
सम्बन्ध में  
प्रकाशित  
विज्ञापन के क्रम  
में प्राप्त  
आपत्तियों का  
निराकरण किया  
जाना

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में निर्वाचित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 03 दिन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार हो, में स्वयं के व्यय पर विज्ञापित जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि, जो निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आता हो तथा उक्त स्थल पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पत्थरशैर्जर अनुज्ञा स्थापित/संचालन किये जाने से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिन के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रस्तुत करेगा। उक्तानुसार प्रकाशन के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है, तो उक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर उक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति जिलाधिकारी

को प्रस्तुत की जायेगी, जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशक को संस्तुति सहित प्रेषित किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
में कच्चे  
माल/तैयार  
माल का  
भण्डारण एवं  
परिवहन

5. (क) स्टोन क्रेशर संचालकों को क्रशड मैटेरियल की मात्रा पर ₹0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों को छाने गये उपखनिज की मात्रा पर ₹0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रदेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटाईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकार्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।
- (ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम-13(2ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (घ) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट भण्डारणकर्ता के द्वारा जांच/पैमाइश से अपनी लिखित रूप से असहमति व्यक्त की जाती है एवं पुनः जांच/पैमाइश की मांग की जाती है, तो उस दशा में स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट भण्डारणकर्ता से खनन लेखाशीर्षक में ₹0 50,000/ की धनराशि जमा कराने के उपरान्त जांचकर्ता के द्वारा भण्डार की पुनः जांच/पैमाइश करायी जा सकती है। इस हेतु भण्डारणकर्ता को खनिज भण्डारणों को आयताकार रूप दिया जाना होगा। स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट से भिन्न भण्डारणकर्ताओं द्वारा पुनः जांच/पैमाइश की मांग किये जाने पर ₹0 5000 की धनराशि लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग में जमा करनी होगी।
- (ङ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा वार्षिक शुल्क जमा न करने की दशा में तैयार माल के परिवहन हेतु संबंधित जनपद के खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
- (च) स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्टों द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
6. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा।
- (2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी। भण्डारण ऊंचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
- यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹0 दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
- (3)(क) इस नीति की घोषणा के बाद स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टस्वामी को ऐसा संयंत्र स्थापित करना होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  से कम हो।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
अनुज्ञा देने हेतु  
शर्त

- (ख) इस नीति की घोषणा के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को ऐसा संयंत्र स्थापित करना होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो। पूर्व से स्थापित प्लान्ट, 5 वर्ष के भीतर अपने संयंत्रों को संशोधित करेंगे।
- (ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed सेड के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।

- (4) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
- (5) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़े।
- (6) संचालक द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
- (7) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (8) सम्पूर्ण क्रेशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फबारे की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
- (9) फबारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फबारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
- (10) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्कर्विंग की जाये। स्कर्विंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
अनुज्ञा की  
स्वीकृति।

7. (1) (क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा नीति में प्रावधानित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
- (ख) जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ग) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा पांच वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत किया जायेगा।
- (2) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा के उपरान्त स्थल पर ऐसी योजना के पूर्ण हो जाने या भण्डारण स्थल की दशा में उसका उपयोग प्रारम्भ हो जाने पर उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा-143 के अधीन सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।
- (3) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इण्टरप्राइजेज एक्ट (MSME) के अधीन जिला उद्योग केन्द्र में रिटर्न दाखिल करना होगा।

स्टोन केशर/ स्कीनिंग प्लान्ट क्षमता का निर्धारण पूर्व से स्थापित/ संचालित स्टोन केशर/ स्कीनिंग प्लान्टों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना तथा प्लांट की क्षमता का विनियमतिकरण

8. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी पूर्व से स्थापित प्लान्ट या स्थापित किये जाने वाले प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में शपथ-पत्र सहित घोषित करेगा।

9. पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामियों को इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा।

घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लांट का विनियमतिकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जायेगा।

विनियमतिकरण शुल्क की गणना घोषित क्षमता के आधार पर नीति के अध्याय-II के अनुसार की जायेगी।

इस राशि में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात् अवशेष धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करना होगा।

नीति की घोषणा के एक माह बाद ई-प्रपत्र "जे" केवल विनियमित प्लान्ट को ही जारी किये जायेंगे।

अध्याय-II- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट हेतु आवेदन शुल्क :-

क्र.सं.	संयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु आवेदन शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु आवेदन शुल्क
1	2	3	4
1	स्टोन केशर	रु० 5.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक) रु० 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रु० 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक) रु० 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्कीनिंग प्लान्ट	रु० 1.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक) रु० 25,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रु० 2.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक) रु० 1.00लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
3	मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट	रु० 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु) खनन सत्र हेतु रु० 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु) खनन सत्र हेतु रु० 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु) खनन सत्र हेतु रु० 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु) खनन सत्र हेतु	
4	हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट	रु० 25000/-	

अध्याय-III- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट /मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट/ हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण

वार्षिक शुल्क

1 (1) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट /मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु वार्षिक शुल्क उपरोक्तानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत होगा। यह धनराशि प्लान्ट स्वामी के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

पूर्व से स्थापित स्टोन  
केशर/  
स्कीनिंग प्लांट को  
पुरानी तकनीक से  
संचालन

(2) हाट-मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट हेतु नवीकरण शुल्क आवेदन शुल्क के बराबर निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलीह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

(1) (क)- पूर्व से स्थापित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट को 05 वर्षों में अपने संयंत्रों को इस नीति के बिन्दु संख्या-6 "स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्त" के सभी मानकों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(ख)- परन्तु जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं लालकुआ में स्थित ऐसे स्टोन केशर, जो मा० उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हैं, को इस नीति के लागू होने के 2 वर्ष के भीतर अपने स्टोन केशर संयंत्रों को नई व्यवस्था के अनुसार संशोधित करना होगा।

(2)- पूर्व से स्थापित ऐसे स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट, जो आबादी की दूरी एवं हरित पट्टीका के मानक पूर्ण नहीं करते हैं:-

(क)- सम्पूर्ण केशर क्षेत्र में कवर्ड शेड की स्थापना की जानी होगी। गरमत्त, निरीक्षण आदि के लिए आवश्यकतानुसार 1-2 दरवाजे स्थापित किये जायें, जिनमें Flexible Rubber Flaps की व्यवस्था स्थापित की जाये ताकि दरवाजे के खुलने पर धूल बाहर न निकलने पाये।

(ख)- कच्चे माल एवं उत्पाद मण्डारण वाले क्षेत्र में भी कवर्ड शेड की स्थापना की जाये जिनमें आवश्यकतानुसार धूल के नियंत्रण हेतु फब्यारों की स्थापना की जाये।

(3)- पूर्व से स्थापित एवं संचालित एवं नये ऐसे स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांटों के द्वारा बिन्दु संख्या-6 में दी गयी शर्त के अनुसार नई आधुनिक तकनीकी पर आधारित Environment Friendly प्रदूषण मुक्त संयंत्र स्थापित करने के साथ-साथ उपरोक्त बिन्दु संख्या-2(क) एवं बिन्दु संख्या-2(ख) के अनुसार आवश्यक सभी व्यवस्था की गयी हो, को रियायत प्रदान करने के उद्देश्य से आगामी पांच वर्षों तक वार्षिक शुल्क की धनराशि का केवल 50 प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करानी होगी।

(4) ऐसे पुराने स्टोन केशर, जो कि मानक पूर्ण नहीं करते हैं और जो शासन द्वारा उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में नई व्यवस्था के अनुसार प्लांट को संशोधित नहीं करते हैं, को इस नीति के मानकों के अनुसार अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना होगा।

(1) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर घयन समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक मृतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन को अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा।

(2) पांच वर्ष की समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी यदि स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट स्वामी पुरानी तकनीकी का परिवर्तन नहीं करता है तो अनुज्ञा स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा ई-प्रपत्र "जे" रोक दिया जायेगा।

अनुज्ञा को रद्द/  
निरस्त किया जाना

अध्याय- IV-मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट का पंजीकरण एवं संचालन

1 राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value Addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लांट को on site स्थापित कर संचालन किया जायेगा।

2 मोबाईल स्कीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन केशर स्वामी पट्टेधारकों एवं अन्य क्षेत्रों में केवल संचालन हेतु प्लांट किराये पर उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य दायित्व नहीं होगा।

3 मोबाईल स्कीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन केशर स्वामी को निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क सहित निदेशक, मृतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

4 प्रत्येक वर्ष प्लांट के संचालन हेतु पंजीकरण का नवीनीकरण निदेशक, मृतत्व एवं खनिकर्म से कराया जाना आवश्यक होगा।

5 मोबाईल स्कीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन केशर के द्वारा किसी भी प्रकार का कच्चे माल का स्टॉक रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

- 6 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु खनन पट्टाधारक /परियोजना प्रबंधक कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं मूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में कस्ट किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज की मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित करेगा।
- 7 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, जिनकी क्षमता अधिकतम 25 टन/घण्टा से अधिक न हो, के संचालन हेतु अनुमति सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।  
प्रतिबन्ध यह होगा कि मोबाईल स्टोन केशर केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु तथा मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही संस्थाओं को अल्पावधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे।
- 8 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रख्यापित आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- 9 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्र धारक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय का विज्ञापित प्रकाशित करेगा कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं मूतत्व खनिकर्म के जनपदीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण-दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
- 10 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना के सम्बन्ध में सत्यापन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
- 11 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक के वही रहेंगे, जो सम्बन्धित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।
- 12 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट संचालकों को कस्ट मैटेरियल की मात्रा पर 1 रु० प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्कीनिंग प्लान्ट संचालकों को छाने गये उपखनिज की मात्रा पर 25 पैसा प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं खनिकर्म उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- 13 मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्टों पर लागू है।
- 14 स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- 15 पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।

#### अध्याय- V- हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

हाट मिक्स प्लान्ट  
एवं रेडिमिक्स प्लान्ट  
में उपखनिजों का  
मण्डारण

- 1 (क) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट स्वामी के द्वारा प्लान्ट में पक्के माल का मण्डारण एवं परिवहन उत्तसखण्ड खनिज (अर्थे खनन, परिवहन एवं मण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अधीन संबंधित जिलाधिकारी द्वारा एक खनन सत्र हेतु मण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त की जायेगी।

उक्त प्लान्टों में भण्डारण के मानक स्टोन केशर के मानकों के समान होंगे। प्लान्ट स्वामी के द्वारा कय किये गये खनिज का लेखा-जोखा पंजिका 'क' में करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) द्वारा किया जायेगा।

(ख) हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट के स्वामी के द्वारा कय एवं विकय किये गये उपखनिज आदि की मासिक विकण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट के स्वामी पर प्रतिमाह ₹ 50000/- का अर्धदण्ड देय होगा।

(ग) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्टर या उनके उत्पाद अर्थात् कच्चा माल/बक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर 1 रुपये प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक 0853- अलैह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) यदि हॉटमिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता के द्वारा जांच/पैमाइश से अपनी लिखित रूप से असहमति व्यक्त की जाती है एवं पुनः जांच/ पैमाइश की मांग की जाती है तो उस दशा में भण्डारणकर्ता से खनन लेखाशीर्षक में ₹ 5,000/- की धनराशि जमा कराने के उपरान्त जांचकर्ता के द्वारा भण्डार की पुनः जांच/पैमाइश करायी जा सकती है इस हेतु भण्डारणकर्ता को खनिज भण्डारणों को आयताकार रूप दिया जाना होगा।

हॉटमिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट से धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractor) या धूल के कणों एवं धुआँ को हवा में उड़ने से रोकने की विधि का प्रभावी उपयोग उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।

हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट का पंजीकरण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा 05 वर्ष हेतु किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष प्लान्ट के संचालन हेतु पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाना होगा।

4. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

प्लान्ट से धूल के 2  
कणों के उत्सर्जन  
को रोकने की विधि  
हाट मिक्स प्लान्ट, 3  
रेडिमिक्स प्लान्ट का  
पंजीकरण एवं  
नवीनीकरण

अध्याय-VI- स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/आरओएमओसीओ प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने /अनुज्ञा का हस्तान्तरण:-

1.

स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/आरओएमओसीओ प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत किया जायेगा तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्राप्त की जायेगी। उक्त प्रयोजन के लिये सम्बन्धित प्लान्टों हेतु आवेदन शुल्क

निम्नानुसार देय होगा :-

1. स्टोन केशर का नाम या भागीदारों का नाम परिवर्तन-2.00लाख।
2. स्कीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन- 1.00 लाख।
3. हाटमिक्स प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - 50,000/-
4. आरओएमसी0 का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन -50,000/-
5. मोबाईल स्टोन केशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन -50,000/-
6. मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन -25,000/-

आज्ञा से

(शैलेश बंगोली)  
सचिव



Directorate of Industries Uttarakhand

# Geology and Mining Unit

Ver 1.1

Registration No: SC66011334 | Lessee/Licensee Name: BAJNATH STONE INDUSTRIES | License Type: Stone Crusher | District: Nainital

Dashboard	<b>MRC:</b> 0.00	<b>Consumption Capacity for Current Period:</b> 22665.10 Tons	<b>Capacity in Hand:</b> 40111.74 Tons
Generate e-Ravanna	<b>Lease Valid Upto:</b> 19 Dec 2021	<b>Current Period:</b> 27 Apr 2021 To 19 Dec 2021	<b>Maximum Storage:</b> 115830.00 Tons
Submit MRC through Challan	<b>Total Forms Generated:</b> 13585	<b>Forms Generated Today:</b> 2	<b>MRC Request Stat:</b> 4
Submit MRC Online			
Search Form			
Receive Mineral With in State			
Receive Mineral Outside State			
Mineral Sale/Purchase Permission			
Online Payment Transactions			
Change Password			
Log Out			

 This website is designed, developed and hosted by **NIC Uttarakhand**

Contents of this website is published, managed and maintained by Geology and Mining Unit, Directorate of Industries Uttarakhand

© Directorate of Industries Uttarakhand.

M/s Bajnath Stone Industries Pvt. Ltd.

 Navendu Pal Singh  
 Director

Annexure-2  
Annexure-3

**Bajnath Stone Industries Pvt. Ltd.**

VII- Talia Gaon, Tehsil- Betalghat

Dist- Nainital-263134

GST No- 05AAGCB9667H12C

MONTH WISE SALE & PURCHASE SUMMERY FOR. FY. 2020-21 (IN TONS)

MONTH	OP. STOCK	PURCHASE	SALE	CLOSING STOCK
Apr-20	29,511.92	-	-	29,511.92
May-20	29,511.92	846.40	2,189.33	28,168.99
Jun-20	28,168.99	17,156.90	2,765.05	42,560.84
Jul-20	42,560.84	-	2,568.86	39,991.98
Aug-20	39,991.98	-	2,697.86	37,294.12
Sep-20	37,294.12	-	8,494.07	28,800.05
Oct-20	28,800.05	-	12,929.05	15,871.00
Nov-20	15,871.00	-	5,469.48	10,401.52
Dec-20	10,401.52	1,038.00	5,190.82	6,248.70
Jan-21	6,248.70	1,573.00	2,425.00	5,396.70
Feb-21	5,396.70	1,181.00	4,392.37	2,185.33
Mar-21	2,185.33	8,205.00	5,460.00	4,930.33

**Bajnath Stone Industries Pvt. Ltd.**

VII- Talia Gaon, Tehsil- Betalghat

Dist- Nainital-263134

GST No- 05AAGCB9667H12C

MONTH WISE SALE & PURCHASE SUMMERY FOR. FY. 2021-22 (IN TONS)

MONTH	OPP. STOCK	PURCHASE	SALE	CLOSING STOCK
Apr-21	4,930.33	8,040.20	5,123.98	7,846.55
May-21	7,846.55	32,795.00	6,709.90	33,931.65
Jun-21	33,931.65	21,318.79	5,670.20	49,580.24
Jul-21	49,580.24	-	6,248.90	43,331.34
1 AUG 21 TO 16 AUG 21	43,331.34	-	3,142.30	40,189.04





# NOIDA TESTING LABORATORIES

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

Analyzing for an Assured Future

## TEST CERTIFICATE

Annexure-23

Test Report of	Report Code	Date of Issue
Ambient Air Quality Analysis	AAQ-260721-029	30/07/2021

**Issued To:** M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.  
**Address:** Khasra No. - 348, 351, 352, 353, 355, 291, Village - Tallagaon, Betalghat, District- Nainital (Uttarakhand)

### Sampling & Analysis Data

Sample Drawn By : Laboratory  
 Date of Sampling : 26/07/2021  
 Sample Description : Ambient Air  
 Sampling Plan & Procedure : SOP-AAQ/08  
 Analysis Duration : 27/07/2021 to 30/07/2021  
 Sampling Location : 10.0 meter away from Jaw Crusher  
 Average Flow Rate of SPM (m<sup>3</sup>/min.) : 1.09  
 Average Flow Rate of Gases (lpm) : 1.0  
 Sampling Instrument Used : RDS (PM<sub>10</sub>) FPS (PM<sub>2.5</sub>) With Gaseous Attachment  
 Weather Condition : Clear

### TEST RESULT

S. No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Limits as per Environment (Protection) Act.
1.	Suspended Particulate Matter (SPM)	IS:5182 Part-IV	382.0	µg/m <sup>3</sup>	500.0

#### Notes:

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
- This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
- This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
- The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

CHECKED BY

*Rijit*

AUTHORIZED SIGNATORY



M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.

*Manish Puri*  
Director

Laboratory : GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : IP-2, Haridwar, Uttarakhand

Branch Office : Gayatri Nagar, Katgodam, Haldwani, Uttarakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www.noidalabs.com



# NOIDA TESTING LABORATORIES

Incorporated in India  
Under the Companies Act, 2013

(An ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 & NABL Accredited Laboratory)  
MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB & HSPCB Recognized Laboratory  
☎ - 91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

## TEST CERTIFICATE

Test Report of	Report Code	Date of Issue
Ambient Air Quality Analysis	AAQ-260721-028	30/07/2021

**Issued To:** M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.  
**Address:** Khasra No. - 348, 351, 352, 353, 355, 291, Village - Tallagaon, Batalghat,  
 District- Nainital (Uttarakhand)

### Sampling & Analysis Data

Sample Drawn By : Laboratory  
 Date of Sampling : 26/07/2021  
 Sample Description : Ambient Air  
 Sampling Plan & Procedure : SOP-AAQ/08  
 Analysis Duration : 27/07/2021 to 30/07/2021  
 Sampling Location : **Main Gate**  
 Average Flow Rate of SPM (m<sup>3</sup>/min.) : 1.07  
 Average Flow Rate of Gases (lpm) : 1.0  
 Sampling Instrument Used : RDS (PM<sub>10</sub>) FPS (PM<sub>2.5</sub>) With Gaseous Attachment  
 Weather Condition : Clear

### TEST RESULT

S. No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Limits as per Environment (Protection) Act.
1.	Suspended Particulate Matter (SPM)	IS:5182 Part-IV	380.0	µg/m <sup>3</sup>	500.0

### Notes:

1. The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
2. Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
3. This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
4. This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
5. The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless, until specified by the customer.

CHECKED BY

Rydt

AUTHORIZED SIGNATORY



M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.

Namurba Pal  
Director

Laboratory : GT-20, Sector-117, Noida Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office : IP-2, Haridwar, Uttrakhand

Branch Office : Gayatri Nagar, Katgodam, Haldwani, Uttrakhand

E. : noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www.noidalabs.com

## संयुक्त निरीक्षण आख्या

उत्तराखण्ड स्टोन कशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन केशर, मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2016 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र हेतु मै0 बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लिमि0 के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह0 बेतालघाट, जिला नैनीताल में 100 टन प्रति घण्टा क्षमता के स्टोन कशर स्थापित करने हेतु आवेदित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मै0 बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लिमि0 के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह0 बेतालघाट, जिला नैनीताल में 100 टन प्रति घण्टा क्षमता के स्टोन कशर स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 23.11.2016 को प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित स्टोन केशर प्लान्ट स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 30.11.2016 को उपजिलाधिकारी, कोश्याकुटौली की अध्यक्षता में, स्टोन कशर प्लान्ट के स्थल हेतु गठित चयन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन कशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन केशर, मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2016 के अनुसार 100 टन प्रतिदिन क्षमता हेतु आवेदन शुल्क रु. 5,00,000.00 चालान सं0 271/8210 दिनांक 22.11.2016 द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र हेतु उत्तराखण्ड स्टोन कशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन केशर, मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2016 के अनुसार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

मै0 बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लिमि0 के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह0 बेतालघाट, जिला नैनीताल के खसरा सं0 348अ, 351, 352, 353अ, 354अ, 355अ एवं 291स, कुल रकबा 1.930 है0 मध्ये 1.260 है0 भूमि पर स्टोन कशर स्थापित करने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूमि, श्रीमती देवकी देवी पत्नी श्री हीरा सिंह, श्री विनोद कुमार पुत्र श्री हरीश चन्द्र, श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र झुंगर सिंह, श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री पदम सिंह तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री महेश चन्द्र आदि के नाम वर्ग 1 क की श्रेणी में दर्ज अभिलेख है। भूस्वामियों द्वारा उक्त भूमि पर आवेदक मै0 बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लिमि0 को स्टोन कशर स्थापित करने हेतु अपनी अनापत्ति प्रदान की गई है। नोटराइज्ड लीज डीड संलग्न है। उक्त प्रस्तावित स्थल के उत्तर में श्री कुबेर सिंह पुत्र श्री राम सिंह आदि की भूमि तदपश्चात बेतालघाट-भुजान मार्ग फिर अन्य लोगों की भूमि तथा 250 मीटर से अधिक की दूरी पर कोसी नदी, दक्षिण में गांव वालों की बंजर (अकृषिक भूमि), पूरव में श्री राजेन्द्र प्रसाद आदि की भूमि तदपश्चात 50 मीटर से अधिक की दूरी पर नाला तथा पश्चिम में श्रीमती देवकी देवी पत्नी श्री हीरा सिंह आदि की भूमि स्थित है। मौके पर कहीं-कहीं पर जंगली वृक्ष उगे हुए हैं।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र, ट्रेजरी चालान, खाता खतौनी, पार्टनरशिप डीड, समाचार पत्र में निकाली गई विज्ञप्ति, साइट प्लान, खसरा मानचित्र का ब्लू प्रिन्ट, भूस्वामियों की सहमति (लीज डीड) आदि अभिलेख संलग्न किये गये हैं।


आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यदि उसे कशर लगाने की अनुमति मिल जाती है तो उनके द्वारा पट्टाधारक श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, पट्टा क्षेत्र घंघरेटी एवं श्री देवेन्द्र सिंह जलाल, पट्टा क्षेत्र सेठी बेलगांव से रेता, बजरी खरीद कर निकासी करुंगा। उक्त दोनों पट्टाधारकों द्वारा नोटराइज्ड शपथ पत्र दिया गया है जिसमें उनके द्वारा प्रस्तावित बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लिमि0 को अपने पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टों से रेता, बजरी दिये जाने का अनुबन्ध किया गया है।

## वन विभाग की आख्या:-

वन विभाग की आख्यानुसार स्टोन कशर की स्थापना हेतु प्रस्तावित संयंत्र/मध्य बिन्दु से सरकारी वन 50 मीटर से अधिक तथा नदी के किनारे से 250 मीटर से अधिक, बरसाती नदी, नाला, गधेरा के किनारे से 25 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

## राजस्व विभाग की आख्या:-

राजस्व विभाग की आख्यानुसार उक्त स्थल प्रस्तावित संयंत्र से नदी के किनारे से 250 मीटर से अधिक, बरसाती नदी, नाला, गधेरा के किनारे से 25 मीटर से अधिक, धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि) से 150 मीटर से अधिक, स्कूल, शिक्षण संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम से 150 मीटर से अधिक, आबादी से 150 मीटर



से अधिक की दूरी पर है। आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में उक्त स्थान पर स्टोन क्रशर स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 19 नवम्बर, 2016 को विज्ञापित प्रकाशित कराई गई है।

#### पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:-

क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी की आख्यानुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुपालन हेतु स्टोन क्रशर में धूल उत्सर्जन नियंत्रण एवं वर्गित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं वायु गुणवत्ता, ध्वनि मापन मानकों के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं उपकरणों के रख-रखाव की रिपोर्ट प्रत्येक माह में स्टोन क्रशर के स्वामियों को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विश्लेषण एवं परीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1. स्टोन क्रशर स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।
2. स्टोन क्रशर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्राविधानों जैसे, विन्ड ब्रेकिंग वॉल, हरित पट्टिका का विकास/संयंत्रों से उत्पन्न धूल कणों को रोकने हेतु covered एवं sprinkler किया जाना, मैटलिक रोड का निर्माण तथा प्रत्येक दिन सफाई एवं छिड़काव आदि करना सुनिश्चित करेंगे।
3. स्टोन क्रशर (उद्योग) द्वारा शासन से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तथा संचालन हेतु जल वायु सहमति (सीओपी) प्राप्त करना आवश्यक होगा।

#### खनन विभाग की आख्या:-


खनन विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्यानुसार आवेदक को स्टोन क्रशर स्थापित किये जाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 (यथासंशोधन 2015) एवं उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2016 अनुसार उपखनिज भण्डारण हेतु अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भण्डारण की अनुमति मिलने के उपरान्त भण्डारित उपखनिज का सही लेखा-जोखा प्रपत्र के अनुसार भण्डारण स्थल पर रखा जाना आवश्यक होगा जिसे जांच/औचक निरीक्षण के समय सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। भण्डारण किये गये उपखनिज के क्य-विक्रय के सम्बन्ध में मासिक सूचना प्रपत्र एल के माध्यम से प्रतिमाह भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, नैनीताल एवं जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। स्टोन क्रशर रोड साइड कंट्रोल एक्ट के अनुसार स्थापित होना अनिवार्य है। स्टोन क्रशर प्लांट संयंत्र परिसर की चारदीवारी के

अन्दर मध्य में स्थापित करना होगा। स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी द्वारा प्लांट के प्रवेश एवं निकासी गेटों पर कम्प्यूराइज्ड धर्मकांटा व सीसीटीवी कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकार्डिंग की सीटीवी प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म हल्द्वानी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

श्री प्रकाश सिंह, श्री दीवान सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री मोहन सिंह द्वारा पता रहित पत्र दिनांक 28.11.2016 (संलग्न मूल में) द्वारा मै० बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा० लिमि० द्वारा ग्राम तल्लागांव में स्टोन क्रशर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में दिया गया है जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य, दाड़िमा, प्रधान, ग्राम पंचायत, दाड़िमा, सदस्य, क्षेत्र पंचायत, तल्लागांव तथा ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत तिवाड़ी गांव द्वारा मै० बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा० लिमि० द्वारा ग्राम तल्लागांव में स्टोन क्रशर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जो मूल रूप में संलग्न हैं।

#### भूवैज्ञानिक की आख्या:-

भूवैज्ञानिक की आख्यानुसार आवेदक फर्म मै० बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा० लिमि० द्वारा ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल में स्टोन क्रशर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल खैरना से बेतालघाट को जाने वाले मोटर मार्ग पर, खैरना से लगभग 12 किमी० की दूरी पर ग्राम तल्लागांव में मोटर मार्ग के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित है। स्थल वर्तमान में एक कृषि भूमि है। निरीक्षण के समय प्रस्तावित स्थल पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। स्थल पर वर्तमान में स्वस्थानिक प्रजाति की झाड़ियां तथा कुछ वृक्ष आदि विद्यमान हैं। प्रस्तावित स्थल एक अनियमित आकार का भूभाग है जो सीढ़ीनुमा खेतों के मूल स्वरूप से निर्मित है। स्थल का उत्तर-पश्चिम की ओर सीढ़ीनुमा कृषि क्षेत्र स्थित है। स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थल से अधिक ऊंचाई वाला खुला पहाड़ी ढालदार भूभाग स्थित है जिसमें से कुछ भाग को कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है जबकि शेष भाग बंजर भूभाग है। स्थल के दक्षिण-पूर्व की ओर स्थल से कम ऊंचाई वाला खुला बंजर भूभाग तथा उसके बाद एक बरसाती नाला स्थित है जिसमें निरीक्षण के समय जल प्रवाहित होते हुए नहीं पाया गया। स्थल के दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित बरसाती नाले का समरेखण 50°-230° तथा बहाव की दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर है जिसमें प्रवाहित होने वाला जल अंतिम रूप से कोसी नदी में प्रवाहित होता है। स्थल के उत्तर-पूर्व की ओर



सम्पर्क मार्ग तथा उसके बाद कृषि भूमि स्थित है। स्थल के निकट स्थित सम्पर्क मार्ग का समरेखण  $120^{\circ}$ - $300^{\circ}$  है। स्थल के उत्तर-पूर्व दिशा की ओर, स्थल से कम ऊंचाई वाले भूभाग में कोसी नदी स्थित है जहां नदी का बहाव दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर है। वर्तमान में स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में कोई आवासीय क्षेत्र दृष्टिगोचर नहीं होता है। आवेदक द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखां एवं मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल 1.260 हेक्टेयर है। स्थल परिसर की चारदीवारी के अन्दर मध्य में ही संयन्त्र (डैक) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूखण्ड की परिधि पर स्थित बिन्दु निम्न अक्षांस व देशान्तर पर अवस्थित है:-

- बिन्दू 01: उत्तर  $29^{\circ} 33' 04.7''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 00.1''$  देशान्तर पर,  
 बिन्दू 02: उत्तर  $29^{\circ} 33' 04.1''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 00.3''$  देशान्तर पर,  
 बिन्दू 03: उत्तर  $29^{\circ} 33' 03.5''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 01.9''$  देशान्तर पर,  
 बिन्दू 04: उत्तर  $29^{\circ} 33' 02.2''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 01.8''$  देशान्तर पर,  
 बिन्दू 05: उत्तर  $29^{\circ} 33' 02.8''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 01.2''$  देशान्तर पर,  
 बिन्दू 06: उत्तर  $29^{\circ} 33' 00.2''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 00.3''$  देशान्तर पर,  
 बिन्दू 07: उत्तर  $29^{\circ} 33' 00.3''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 03.1''$  देशान्तर पर,  
 बिन्दू 08: उत्तर  $29^{\circ} 33' 01.8''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 05.1''$  देशान्तर पर,  
 बिन्दू 09: उत्तर  $29^{\circ} 33' 04.1''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 05.0''$  देशान्तर पर,  
 बिन्दू 10: उत्तर  $29^{\circ} 33' 04.5''$  अक्षांस व पूर्व  $79^{\circ} 24' 03.3''$  देशान्तर पर,

प्रस्तावित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं० 53 O/8 के अन्तर्गत आता है। स्थल का मध्य भाग समुद्र तल से 833 से 862 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर, स्थल से अधिक ऊंचाई वाले खुले ढालदार भूभाग स्थित है जिसमें वर्तमान में स्वस्थानिक प्रजाति के वृक्ष तथा झाड़ियां विद्यमान हैं। प्रस्तावित स्थल एक पहाड़ी ढालदार भूभाग के मध्य स्थित है जिसे पूर्व में ही कृषि कार्य हेतु छोटे छोटे स्तरों में विकसित किया गया है। स्थल पर स्वस्थानिक चट्टाने दृष्टिगोचर नहीं होती है। स्थल की सतह पर मोटे कणों वाली भूरे रंग की मृदा का मोटा आवरण है। स्थल की स्थलाकृति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि स्थल को पूर्व में कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा था परन्तु वर्तमान में कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से यह सम्पूर्ण क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला के विकसित सोपानों मध्य स्थित है। स्थल रामगढ़ समूह की नथुवाखान बेतालघाट इकाई तथा जौनसार समूह की नागघाट बेरीनाग फोरमेशन में जंकशन के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। स्थल पर एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित खुले भूभागों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि स्थल पर ऊपर की ओर स्थित भाग स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित, स्थल से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढालदार भूभाग के अपरदन से कालान्तर में टूटकर आये अवसादों के स्थल पर निक्षेपित हुए भाग से निर्मित है जो वर्तमान में स्थिर हो गया है। प्रस्तावित स्थल के उत्तर-पूर्व की ओर कोसी नदी स्थित है जिसका स्थल के निकट समरेखण तथा बहाव दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर है। स्थल पर सामान्य ढलाने  $15^{\circ}$ - $20^{\circ}$  हैं जिनकी दिशा उत्तर  $35^{\circ}$  की ओर हैं। स्थल पर स्थित ढलानों को पूर्व में ही कृषि कार्य हेतु स्तरों में विकसित किया गया है। स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थल से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढालदार भूभाग स्थित है जिसमें सुरक्षात्मक उपाय किये जाने आवश्यक प्रतीत होते हैं। स्थल पर स्टोन क्रशर की स्थापना किये जाने हेतु स्थल को विकसित कर समतल किये जाने की आवश्यकता है। निरीक्षण के समय स्थल पर भूधंसाव के कोई चिन्ह नहीं पाये गये। स्थल वर्तमान में स्थिर (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होता है।


यदि शासन द्वारा प्रस्तावित स्थल पर स्टोन क्रशर लगाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तो स्थल विकास एवं स्टोन क्रशर की स्थापना हेतु निर्माण कार्य करते समय आवेदक द्वारा निम्न प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

1. प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित, स्थल से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग में सुरक्षात्मक कार्य किये जाने अत्यन्त आवश्यक होंगे।
2. स्थल के निकट स्थित सम्पर्क मार्ग से नियमानुसार पर्याप्त दूरी पर ही निर्माण कार्य किया जाना होगा तथा स्थल के चारों ओर नियमानुसार चारदीवारी का निर्माण किया जाना होगा।
3. चयनित स्थल परिसर की सीमा के अन्दर मध्य बिन्दु का निर्धारण नियमानुसार किया जाना होगा तथा स्थल परिसर की चारदीवारी के अन्दर मध्य में ही संयन्त्र (डैक) स्थापित किया जाना होगा।
4. स्थल पर निर्माण कार्य इस प्रकार से किया जाना होगा कि स्थल के निकटवर्ती भूभाग में स्थित कृषि भूमि को कोई क्षति नहीं पहुंचने पाये।

5. स्थल परिसर में प्रस्तावित कार्यालय भवन आदि का निर्माण करते समय नींव को यथोचित गहराई तक ले जाया जाना तथा भवन का निर्माण भूकम्प के अधिकतम परिमाणों के कम्पनो को दृष्टिगत रखते हुए भूकम्परोधी तकनीक को अपनाते हुए किया जाना आवश्यक होगा।
6. स्थल पर निर्माण कार्य, स्थल की भारग्रही क्षमता के अनुरूप ही किया जाना होगा।
7. स्थल पर प्रयोग किये जाने वाले जल तथा वर्षाजल की निकासी हेतु सक्षम जलप्रवाह तन्त्र विकसित किया जाना भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से आवश्यक होगा।
8. प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य करने के उपरान्त तथा इकाई में उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, स्थल का पुनः निरीक्षण कराया जाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थल के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया गया है।
9. उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश सं० 1758/VII-1/16/68-रिट /08, देहरादून: दिनांक: 19 नवम्बर, 2016 में दिये गये नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में ही स्थल पर स्टोन क्रशर लगाये जाने हेतु स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त सुझावों के पूर्णतया अनुपालन की दशा में ही उपरोक्त स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से स्टोन क्रशर के निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि आवेदक फर्म द्वारा उपरोक्त सुझावों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत परिस्थितियों के लिये आवेदक फर्म स्वयं ही उत्तरदायी होगी।

अतः मै० बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०मि० के नाम से ग्राम तल्लागांव, तह० बेतालघाट, जिला नैनीताल में पर्वतीय क्षेत्र हेतु उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2016 के अनुसार 100 टन प्रति घण्टा क्षमता के स्टोन क्रशर स्थापित करने हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।




(क्षेत्रीय अधिकारी)

संसाधन पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
हल्द्वानी




(ग्रामीण पटवारी)  
ग्राम तल्लागांव




(सर्वेक्षक)  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
हल्द्वानी



(भूगर्भीय)  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,



(प्रतिनिधि प्रभागीय वनाधिकारी)  
नैनीताल वन प्रभाग  
नैनीताल



(उपनिदेशक, खनन)  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई  
हल्द्वानी



(उपनिदेशक)  
कोरवाकुटी



**HEAD OFFICE**

**Uttarakhand Pollution Control Board**

**"Gauradevi Paryavaran Bhawan"**

46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun (Uttarakhand)

Web : [www.ueppcb.uk.gov.in](http://www.ueppcb.uk.gov.in). E-mail : [msukpcb@yahoo.com](mailto:msukpcb@yahoo.com)

Ref.: UKPCB/HO/Gen-183-514/2021/7/

Date: 6.10.2021

**Speed Post**

To,

M/s Shri Maa Nanda Crusher,  
Naini Chowk, Betalghat,  
Vill. Darmin, Betalghat,  
District Nainital (Uttarakhand)

**Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981, as amended.**

**WHEREAS**, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and vide provisions of these Acts every water/air polluting industry/unit/operation/process is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

**WHEREAS**, for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge/emission of environmental pollutants from the industries, operations or processes have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industry, operations or processes to keep their effluent/emission quality within the specified norms all the time; and

**WHEREAS**, M/S Shri Maa Nanda Crusher, located at Naini Chowk, Betalghat, Vill. Darmin, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand (herein after referred as "Unit") is a stone crushing industry and categorized under orange category of industry; and

**WHEREAS**, under the Environment (Protection) Rules, 1986 standards for stone crushing units are notified; and every stone crushing unit shall strictly adhere to prescribed norms; and

**WHEREAS**, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of O.A. No. 132/2021 (I.A. No. 122/82021) Manoj Joshi Vs State of Uttarakhand & Ors., on dated 14.06.2021, *inter alia* issued following directions:

*2. Having regard to the averments in the application, which are sought to be supported by photographs annexed and the media reports, we find it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrates concerned, Nainital, to undertake visit to the sites and ascertain the compliance status of functioning of the said stone crushers. The State PCB will be Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may give its report within two months by email at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.*

**WHEREAS**, in compliance of order of the Hon'ble NGT, Joint Team inspected the stone crushing Units in questions on dated 17.08.2021 and observed some deficiencies with respect to provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended and

Contd..... page-2

Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulverizer Plant, Hotmix Plant, Redymix Plant Anugya Nitti, 2020 as amended, and recommended to issue following directions:

1. The Unit should provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit should provide adequate pucca settling tanks for wastewater treatment.
3. The Unit should provide water sprinklers with proper pressure per the State Policy, 2020.
4. The Unit should provide adequate green belt as per State Policy, 2011.
5. The Unit should complete metalled road as per State Policy, 2011.
6. The Unit should maintain proper logbook for water tankers used for sprinkling.
7. The Unit should ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.

**NOW THEREFORE**, considering the observations and recommendation made by the Joint Committee, and in exercise of the powers conferred under Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time, with approval of the Competent Authority of the Board, the Unit i.e **M/S Shri Maa Nanda Crusher, located at Naini Chowk, Betalghat, Vill. Darmin, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand** is hereby directed to ensure compliance of following, and submit compliance report to Boards' offices with 30 days of issue of directions. Failing which it would be presumed that Unit is perpetually violating the provisions of aforesaid Act/Policy and further action would be taken against the Unit, which include directions to concerned authority for discontinue power supply of the Unit and/or imposition of an environmental compensation as per decision of 23<sup>rd</sup> Board meeting held on 29.11.2019.

1. The Unit shall provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit shall provide adequate pucca settling tanks for wastewater treatment.
3. The Unit shall provide water sprinklers with proper pressure per the State Policy, 2020.
4. The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy, 2011.
5. The Unit shall complete metalled road as per State Policy, 2011.
6. The Unit shall maintain proper logbook for water tankers used for sprinkling.
7. The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.

  
S.P. Subudhi, IFS  
Member Secretary

Copy to:

1. District Magistrate, Nainital for kind information please.
2. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani (Nainital) for information and necessary action. Compliance verification report be forwarded to this office in due course of time.
3. Consent file of M/S Shri Maa Nanda Crusher, Betalghat, Vill. Darmin, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand.
4. Guard File.

  
Member Secretary

**HEAD OFFICE****Uttarakhand Pollution Control Board****"Gauradevi Paryavaran Bhawan"****46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun (Uttarakhand)****Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com**

Ref.: UKPCB/HO/Gen-183-514/2021/70

Date: 6.10.2021

**Speed Post**

To,

**M/s Shri Maa Girja Stone Crusher,  
Vill. Tallgaon, Betalghat,  
District Nainital (Uttarakhand)****Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981, as amended.**

**WHEREAS**, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and vide provisions of these Acts every water/air polluting industry/unit/operation/process is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

**WHEREAS**, for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge/emission of environmental pollutants from the industries, operations or processes have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industry, operations or processes to keep their effluent/emission quality within the specified norms all the time; and

**WHEREAS**, M/S Maa Girja Stone Crusher, located at Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand (herein after referred as "Unit") is a stone crushing industry and categorized under orange category of industry; and

**WHEREAS**, under the Environment (Protection) Rules, 1986 standards for stone crushing units are notified; and every stone crushing unit shall strictly adhere to prescribed norms; and

**WHEREAS**, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of O.A. No. 132/2021 (I.A. No. 122/82021) Manoj Joshi Vs State of Uttarakhand & Ors., on dated 14.06.2021, *inter alia* issued following directions:

*2. Having regard to the averments in the application, which are sought to be supported by photographs annexed and the media reports, we find it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrates concerned, Nainital, to undertake visit to the sites and ascertain the compliance status of functioning of the said stone crushers. The State PCB will be Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may give its report within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.*

**WHEREAS**, in compliance of order of the Hon'ble NGT, Joint Team inspected the stone crushing Units in questions on dated 17.08.2021 and observed some deficiencies with respect to provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended and

Contd..... page-2

Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulverizer Plant, Hotmix Plant, Redymix Plant Anugya Nitti, 2020 as amended, and recommended to issue following directions:

1. The Unit expedite to install ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit should provide water sprinklers with proper pressure per the State Policy, 2020.
3. The Unit should complete cover shed in conveyor belts.
4. The Unit should provide adequate green belt as per State Policy.
5. The Unit should ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.

**NOW THEREFORE**, considering the observations and recommendation made by the Joint Committee, and in exercise of the powers conferred under Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time, with approval of the Competent Authority of the Board, the Unit i.e **M/S Maa Girja Stone Crusher**, located at **Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand** is hereby directed to ensure compliance of following and submit compliance report to Boards' offices with 30 days of issue of directions. Failing which it would be presumed that Unit is perpetually violating the provisions of aforesaid Act/Policy and further action would be taken against the Unit, which include directions to concerned authority for discontinue power supply of the Unit and/or imposition of an environmental compensation as per decision of 23<sup>rd</sup> Board meeting held on 29.11.2019.

1. The Unit expedite to install ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit shall provide water sprinklers with proper pressure per the State Policy, 2020.
3. The Unit shall complete cover shed in conveyor belts.
4. The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy.
5. The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.

  
S.P. Subudhi, IFS  
Member Secretary

**Copy to:**

1. District Magistrate, Nainital for kind information please.
2. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani (Nainital) for information and necessary action. Compliance verification report be forwarded to this office in due course of time.
3. Consent file of M/S Maa Girja Stone Crusher, located at Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand.
4. Guard File.

  
Member Secretary

OK  
UKP



**HEAD OFFICE**  
Uttarakhand Pollution Control Board  
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"  
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun (Uttarakhand)  
Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com

Ref.: UKPCB/HO/Gen-183-514/2021/72

Date: 6/10/2021

**Speed Post**

To,  
M/s Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.,  
Vill. Tallagaon, Betalghat,  
District Nainital (Uttarakhand)

**Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981, as amended.**

**WHEREAS**, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and vide provisions of these Acts every water/air polluting industry/unit/operation/process is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

**WHEREAS**, for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge/emission of environmental pollutants from the industries, operations or processes have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industry, operations or processes to keep their effluent/emission quality within the specified norms all the time; and

**WHEREAS**, Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., located at Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand (herein after referred as "Unit") is a stone crushing industry and categorized under orange category of industry; and

**WHEREAS**, under the Environment (Protection) Rules, 1986 standards for stone crushing units are notified; and every stone crushing unit shall strictly adhere to prescribed norms; and

**WHEREAS**, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of O.A. No. 132/2021 (I.A. No. 122/82021) Manoj Joshi Vs State of Uttarakhand & Ors., on dated 14.06.2021, *inter alia* issued following directions:

*2. Having regard to the averments in the application, which are sought to be supported by photographs annexed and the media reports, we find it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrates concerned, Nainital, to undertake visit to the sites and ascertain the compliance status of functioning of the said stone crushers. The State PCB will be Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may give its report within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.*

**WHEREAS**, in compliance of order of the Hon'ble NGT, Joint Team inspected the stone crushing Units in questions on dated 17.08.2021 and observed some deficiencies with respect to provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended and

Contd..... page-2

Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulverizer Plant, Hotmix Plant, Redymix Plant Anugya Nitti, 2020 as amended, and recommended to issue following directions:

1. The Unit expedite to install ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit should provide proper and complete cover shed in conveyor belts.
3. The Unit should provide adequate green belt as per State Policy, 2016.
4. The Unit should provide flow meter at water intake point and maintain proper logbook.
5. The Unit should take necessary permission from concerned authority for use of surface water (River Kosi).
6. The unit should provide adequate settling tanks for wastewater treatment.
7. The Unit should ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.

**NOW THEREFORE**, considering the observations and recommendation made by the Joint Committee, and in exercise of the powers conferred under Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended time to time, with approval of the Competent Authority of the Board, the Unit i.e **Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd.**, located at **Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand** is hereby directed to ensure compliance of following, and submit compliance report to Boards' offices with 30 days of issue of directions. Failing which it would be presumed that Unit is perpetually violating the provisions of aforesaid Act/Policy and further action would be taken against the Unit, which include directions to concerned authority for discontinue power supply of the Unit and/or imposition of an environmental compensation as per decision of 23<sup>rd</sup> Board meeting held on 29.11.2019.

1. The Unit shall expedite to install ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The Unit shall provide proper and complete cover shed in conveyor belts.
3. The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy, 2016.
4. The Unit shall provide flow meter at water intake point and maintain proper logbook.
5. The Unit shall take necessary permission from concerned authority for use of surface water (River Kosi).
6. The unit shall provide adequate settling tanks for wastewater treatment.
7. The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.

  
S.P. Subudhi, IFS  
Member Secretary

**Copy to:**

1. District Magistrate, Nainital for kind information please.
2. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani (Nainital) for information and necessary action. Compliance verification report be forwarded to this office in due course of time.
3. Consent file of Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd., Vill. Tallagaon, Betalghat, District Nainital, Uttarakhand.
4. Guard File.

  
Member Secretary